अध्याय–II

''उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि'' की लेखापरीक्षा

परिचय

2.1 विद्युत पारेषण को उच्च वोल्टेज पर, सामान्यतः 132 केवी एवं इससे ऊपर, लम्बी दूरी तक समस्त ऊर्जा के स्थानान्तरण के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्युत उत्पादन संयंत्रों में सापेक्षतया निम्न वोल्टेज पर उत्पादित विद्युत ऊर्जा को पारेषण से पूर्व उच्च वोल्टेज ऊर्जा में उच्चीकृत किया जाता है। एक वोल्टेज स्तर से दूसरे वोल्टेज स्तर पर उच्चीकृत/निम्नीकृत करने एवं वितरण कम्पनियों की विद्युत प्रणाली को उत्पादन प्रणाली से संयोजित करने हेतु उपकेन्द्रों की सुविधायें जो कि उच्च वोल्टेज विद्युत प्रणाली (पारेषण प्रणाली) का भाग है, प्रयुक्त की जाती हैं। अतः एक मजबूत एवं एकीकृत ऊर्जा पारेषण प्रणाली विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने का आधार है।[1]

2.2 उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की राज्यान्तारिक पारेषण प्रणाली एवं ग्रिड संचालन का प्रबन्धन उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) में निहित है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इस कम्पनी को 31 मई 2004 को उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था, जिसका 13 जुलाई 2006 को उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में पुनः नामकरण किया गया। ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार कम्पनी का प्रशासकीय विभाग है।

संगठनात्मक ढांचा

2.3 कम्पनी का प्रबन्धन बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में निहित है, जिसके सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन प्रबन्ध निदेशक जो कम्पनी का कार्यकारी निदेशक भी होता है, के द्वारा किया जाता है। उसकी सहायता के लिए छः निदेशक[2] और एक कम्पनी सचिव होता है। पारेषण प्रणाली में वृद्धि/विस्तार के नियोजन हेतु कम्पनी के मुख्यालय पर पाँच उपकेन्द्र/पारेषण परिकल्पना मण्डल[3] (परिकल्पना मण्डल) प्रत्येक अधीक्षण अभियन्ता के अधीन हैं। ये मण्डल भण्डार क्रय समिति[4] के अनुमोदन से पारेषण परियोजनाओं की डिजाइनिंग, सामग्रियों की खरीद के अनुबंधों के अन्तिमीकरण एवं पारेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यों को प्रदान करते हैं।

कम्पनी के विभिन्न संभागों की परियोजना के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में भूमिका

2.4 कम्पनी के विभिन्न संभागों की परियोजना की परिकल्पना, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन में भूमिका ***परिशिष्ट–2.1*** में दर्शायी गयी है।

---

[1] संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास लक्ष्य 7.1।

[2] निदेशक (संचालन), निदेशक (कार्य एवं परियोजना), निदेशक (योजना एवं वाणिज्य), निदेशक (राज्य भार प्रेषण केंद्र), निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)।

[3] (i) विद्युत उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल–I (ii) विद्युत उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल–II (iii) विद्युत् पारेषण परिकल्पना मण्डल (iv) 765/400 केवी विद्युत उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल (v) 765 एवं 400 केवी विद्युत पारेषण परिकल्पना मण्डल।

[4] निदेशक भण्डार क्रय समिति (डीएसपीसी), प्रबंध निदेशक भण्डार क्रय समिति (एमडीपीसी) एवं कॉर्पोरेट भण्डार क्रय समिति (सीएसपीसी) को प्रदत्त वित्तीय अधिकार क्रमशः ₹ 1 करोड़ से 10 करोड़, ₹ 10 करोड़ से 35 करोड़ एवं ₹ 35 करोड़ से ऊपर हैं।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.5 लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि क्याः

- परियोजनाएं उचित रूप से परिकल्पित की गयीं एवं चिन्हित परियोजनाओं की योजना पर्याप्त थी तथा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की गयी;
- सामग्रियों एवं सेवाओं के क्रय करने की प्रणाली मितव्ययी एवं दक्ष थी;
- परियोजनाओं का क्रियान्वयन मितव्ययी, दक्ष था एवं वांछित परिणाम प्राप्त हुए;
- परियोजनाओं के क्रियान्वन हेतु कोष प्रबन्धन एवं अनुश्रवण तन्त्र कार्यकुशल एवं प्रभावी थे।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र, पद्धति एवं लेखापरीक्षा की कसौटियाँ

2.6 उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा, 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में समाहित की गयी थी। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (कोपू) द्वारा अभी (अगस्त 2019) तक विचार–विमर्श नहीं किया गया है।

वर्तमान लेखापरीक्षा मार्च 2018 से नवम्बर 2018 के मध्य कम्पनी एवं इसकी फील्ड इकाइयों के प्रलेखों/सूचनाओं के आधार पर 2013–14 से 2017–18 के मध्य उपकेन्द्रों के निर्माण/क्षमता वृद्धि की परिकल्पना, योजना एवं क्रियान्वयन में कम्पनी के निष्पादन का मूल्यांकन करने की दृष्टि से यह आंकलित करने के लिए की गयी कि क्या परियोजनाएं उचित रूप से परिकल्पित की गयीं एवं यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कम्पनी ने किसी भी स्तर पर ग्रिड की स्थिरता को जोखिम में डाले बिना वितरण कम्पनियों को माँग के अनुसार ऊर्जा का प्रेषण सुगमित करने के अपने लक्षित परिणामों को प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने 05 अक्टूबर 2018 को आयोजित इन्ट्री कॉन्फ्रेन्स के दौरान प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग एवं कम्पनी के प्रबन्धन को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया। लेखापरीक्षा ने कम्पनी के मुख्यालय एवं इसकी 171 फील्ड इकाइयों में से 42 इकाइयों[5] (25 प्रतिशत लगभग) पर अभिलेखों एवं सम्बंधित प्रलेखों का परीक्षण किया। लेखापरीक्षा ने 01 मई 2019 को आयोजित समापन बैठक में लेखापरीक्षा के परिणामों पर प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग एवं प्रबन्धन के साथ चर्चा की। ड्राफ्ट प्रतिवेदन पर कम्पनी का उत्तर (मई 2019) एवं शासन का उत्तर (सितम्बर 2019) प्राप्त हो गया एवं समुचित रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा की कसौटियां ऊर्जा मंत्रालय, जीओआई, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (प्राधिकरण), उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) एवं कम्पनी द्वारा निर्गत विभिन्न प्रलेखों[6] से उद्धृत की गयी हैं।

---

[5] नमूना में 42 इकाइयाँ यादृच्छिक नमूना चयन के आधार पर आइडिया सॉफ्टवेयर से चयनित की गयीं। इसे विधिवत रूप से नोडल सांख्यिकीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया।

[6] राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2005 एवं 2016 के प्रावधान; कम्पनी की परिप्रेक्ष्य योजना एवं परियोजना प्रतिवेदनों में निर्धारित मानक; अनुबन्ध प्रदान करने की निर्धारित मानक प्रक्रियाएं; केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्गत पारेषण नियोजन कसौटियों से सम्बन्धित मैनुअल, 2013 (एमटीपीसी); राज्य सरकार/उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) के निर्देश/मानक/दिशानिर्देश); पारेषण परियोजना हेतु सीईए/ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रतिवेदन, 2005; एमओपी, जीओआई द्वारा 2001 में गठित समिति द्वारा संस्तुत 'बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन' की संस्तुतियाँ।

कुल निर्मित/क्षमता वृद्धि किये गए उपकेन्द्रों एवं नमूना जाँच हेतु चयनित किये गए उपकेन्द्रों का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका–2.1: निर्मित/क्षमता विस्तारित उपकेन्द्रों और नमूना जाँच हेतु चयनित उपकेन्द्रों की संख्या का विवरण

कम्पनी द्वारा 2013–14 से 2017–18 के दौरान निर्मित/क्षमता वृद्धि किये गए उपकेन्द्र			नमूना हेतु चयनित उपकेन्द्र (42 इकाइयों में)		
संख्या	क्षमता (एमवीए में)	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	संख्या (प्रतिशत)	क्षमता (एमवीए में)	स्वीकृत लागत ₹ करोड़ में (प्रतिशत)
नये निर्मित उपकेन्द्रों					
172	20,045	5,237.80	89 (52)	12753	2,760.29 (53)
विस्तारित उपकेन्द्रों					
486	23,637.50	2,610.75	180 (37)	5661	1,471.90 (56)
योग					
658	43,682.50	7,848.55	269 (41)	18,414	4,232.19 (54)

लेखापरीक्षा परिणाम जिनकी अग्रेतर चर्चा की गयी है नमूना जाँच का परिणाम हैं। कम्पनी अपने स्तर पर समान प्रकृति के अन्य मामले अन्य इकाइयों में आंकलित कर सकती है।

लेखापरीक्षा, इस कार्य के दौरान कम्पनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सहयोग एवं सहायता को स्वीकार करता है।

कम्पनी का वित्तीय प्रदर्शन

कम्पनी की वित्तीय स्थिति

2.7 कम्पनी की 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति नीचे तालिका 2.2 में दर्शाई गई है।

तालिका–2.2: कम्पनी के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अंश पूँजी (आवेदन राशि को सम्मिलित करते हुए)	6,636.59	8,641.20	10,091.20	11,786.20	12,494.42
पारेषण नेटवर्क[7] से सम्बंधित स्थायी संपत्तियों का सकल ब्लाक	10,278.94	10,898.29	13,352.56	18,245.92	22,623.98
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	2,395.29	2,811.35	3,070.08	6,897.76	6,144.66
ऋण	6,258.09	6,439.39	7,838.67	9,432.85	10,762.29
ब्याज	501.55	394.99	534.20	654.28	945.58
ह्रास	403.40	500.87	569.32	754.86	955.15
टर्नओवर	1,655.87[8]	1,304.91	1,682.64	1,759.51	2,069.41
शुद्ध लाभ/(हानि)	321.39	(71.87)	(27.13)	(38.05)	(367.20)

स्रोतः कम्पनी के वार्षिक लेखे

[7] भूमि; भवन; अन्य सिविल कार्य; संयत्र एवं मशीनें एवं लाइन्स, केबल नेटवर्क इत्यादि।

[8] यूपीईआरसी के दिनांक 01 अक्टूबर 2014 के आदेश के आधार पर ट्रूड अप पुनरीक्षित टैरिफ के अनुसार इसमें ₹ 581.18 करोड़ (वर्ष 2008–09 से 2011–12 की पारेषण आय में वृद्धि का प्रभाव) की राशि सम्मिलित है *(**स्रोतः** कम्पनी के 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक लेखे का नोट संख्या 16)*।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों में पारेषण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कम्पनी ने पूँजीगत संपत्तियों में ₹ 17,788.43 करोड़[9] विनियोजित किये। उपरोक्त विनियोग मुख्यतया अंश पूँजी एवं ऋणों के द्वारा वित्तपोषित थे जिनमें पिछले पाँच वर्षों में वस्तुगत वृद्धि हुई। वर्ष 2017–18 में हानियों में वस्तुगत वृद्धि के मुख्य कारण दिए गए वर्षों में ब्याज के रूप में अत्यधिक भुगतान एवं ह्रास थे।

कम्पनी का भौतिक प्रदर्शन

2.8 कम्पनी का भौतिक प्रदर्शन नीचे दिया गया है :

(i) कम्पनी का 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र रूप से भौतिक प्रदर्शन का विवरण ***परिशिष्ट–2.2*** में दिया गया है और निम्न तालिका 2.3 में सारांकित किया गया है।

तालिका–2.3: कम्पनी के भौतिक प्रदर्शन का विवरण

विवरण / वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
उपकेन्द्रों की संख्या (वर्ष के अन्त में)	360	377	416	448	498	532
समस्त श्रेणियों के उपकेन्द्रों की पारेषण क्षमता (एमवीए में) (वर्ष के अन्त में)	58,650	63,614	68,543	76,482	88,847	1,02,333
पारेषण लाइनों की लम्बाई (सीकेएम–में) (वर्ष के अन्त में)	26,674.12	27,628.03	29,016.99	30,624.43	33,061.25	36,152
कम्पनी के नेटवर्क पर वास्तविक पारेषित ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	73,897.66	77,760.69	82,413.86	89,819.49	1,01,694.51	1,14,321.13

स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान कम्पनी ने 20,045 एमवीए क्षमता के 172 नये उपकेन्द्र बनाये एवं वर्तमान 486 उपकेन्द्रों का 23,638 एमवीए से क्षमता विस्तार किया जैसा कि ***परिशिष्ट–2.2*** में विवरण दिया गया है। परिणामस्वरूप, पारेषण क्षमता में 74 प्रतिशत, पारेषण लाइनों की लम्बाई में 36 प्रतिशत एवं वास्तविक पारेषित ऊर्जा में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अग्रेतर, 26,125 एमवीए क्षमता के 93 नये उपकेन्द्र एवं वर्तमान 86 उपकेन्द्रों की 5,889 एमवीए से क्षमता वृद्धि वर्ष 2017–18 के अन्त में प्रगति पर थी।

(ii) डिस्कॉम्स की तुलना में कम्पनी की परिवर्तन क्षमता[10]

सीईए के पारेषण नियोजन कसौटियों से सम्बन्धित मैनुअल, 2013 (एमटीपीसी) के प्रस्तर 3.7 में वर्णित है कि पारेषण इकाई डिस्कॉम्स की माँग को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। कम्पनी के 132 केवी उपकेन्द्र डिस्कॉम्स के 33 केवी उपकेन्द्रों से सीधे जुड़े होते हैं।

कम्पनी ने 2013–14 से 2017–18 के दौरान ₹ 17,788.43 करोड़ अपनी पारेषण प्रणाली में वृद्धि / विस्तार करने हेतु विनियोजित किये। समग्र स्तर पर यह देखा गया कि 31 मार्च 2013 को डिस्कॉम्स की 27,981 एमवीए परिवर्तन क्षमता (33 / 11 केवी उपकेन्द्र एवं 66 / 11 केवी उपकेन्द्र) के विरूद्ध कम्पनी की परिवर्तन क्षमता 132 केवी उपकेन्द्रों पर 26,590 एमवीए थी जो डिस्कॉम्स की परिवर्तन क्षमता का 95 प्रतिशत थी। हालाँकि, उपरोक्त वर्णित खर्च करके, कम्पनी की परिवर्तन क्षमता (इसके 132 केवी

---

[9] वर्ष 2017–18 को स्थायी संपत्ति का सकल ब्लॉक यथा ₹ 22,623.98 करोड़ एवं 31 मार्च 2018 के पूँजीगत चालू कार्य ₹ 6,144.66 करोड़ के योग में से 31 मार्च 2013 के स्थायी संपत्ति के सकल ब्लॉक ₹ 8,563.67 करोड़ एवं 31 मार्च 2013 के पूँजीगत चालू कार्य ₹ 2,416.54 करोड़ का योग घटाकर।

[10] पारेषण इकाई के सन्दर्भ में परिवर्तन क्षमता का अर्थ वोल्टेज को उच्चीकृत / निम्नीकृत करने की क्षमता से है।

उपकेन्द्रों पर) 44,423 एमवीए थी जो डिस्कॉम्स के परिवर्तन क्षमता 43,706 एमवीए (33/11 केवी उपकेन्द्र एवं 66/11 केवी उपकेन्द्र) का 102 प्रतिशत थी।

राज्य में उपलब्ध ऊर्जा (राज्य में कुल उत्पादन में आयातित को जोड़कर) के सापेक्ष कम्पनी की पारेषण क्षमता[11]

2.9 राष्ट्रीय ऊर्जा नीति, 2005 वर्णित करती है कि पारेषण नेटवर्क में विस्तार की योजना उत्पादन में वृद्धि एवं प्रत्याशित ऊर्जा निकासी एवं पारेषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

वर्षवार कुल उपलब्ध ऊर्जा (राज्य में कुल उत्पादन में आयातित को जोड़कर) एवं कम्पनी की पारेषण क्षमता[12] निम्न तालिका 2.4 में दर्शायी गयी है।

तालिका–2.4: पारेषण क्षमता की स्थिति

वर्ष	220 केवी उपकेन्द्रों की परिवर्तन क्षमता (एमवीए में)	पारेषण क्षमता मिलियन यूनिट में (एमवीए* 0.9*365 दिन* 24 घंटे /1000)[13]	बस बार पर उपलब्ध कुल ऊर्जा (राज्य में कुल उत्पादन में आयातित को जोड़कर)	पारेषण क्षमता का कुल उपलब्ध ऊर्जा पर प्रतिशत
1	2	3	4	5 (कॉलम 3/ कॉलम 4*100)
2012-13	22,050	1,73,842.20	77,301.13	225
2013-14	23,570	1,85,825.88	82,712.73	225
2014-15	25,210	1,98,755.64	87,197.75	228
2015-16	28,070	2,21,303.88	93,099.16	238
2016-17	30,700	2,42,038.80	1,06,061.73	228
2017-18	35,430	2,79,330.12	1,19,051.44	235

स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

इस प्रकार, पिछले छः वर्षों के दौरान कम्पनी की पारेषण क्षमता राज्य में उपलब्ध ऊर्जा के 225 प्रतिशत से 238 प्रतिशत के मध्य विस्तारित थी जो उपलब्ध ऊर्जा को डिस्कॉम्स तक पारेषित करने हेतु पर्याप्त थी।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अग्रेतर प्रस्तरों में की गयी है:

वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान पूर्ण किये गए उपकेन्द्र एवं कार्य प्रगति पर

2.10 वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान पूर्ण किये गए 172 नये उपकेन्द्रों (क्षमता 20,045 एमवीए) में से 62 नए उपकेन्द्र जिनकी क्षमता 8,895 एमवीए थी, की योजना (पारेषण कार्य समिति द्वारा अनुमोदित) 2013–14 से 2017–18 के दौरान बनाई गयी थी। वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान जिन विद्यमान 486 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि (क्षमता 23638 एमवीए) की गयी उनमें से 297 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की योजना 2013–14 से 2017–18 के दौरान बनाई गयी थी। शेष बचे 110 नए उपकेन्द्र जिनकी क्षमता 11,150 एमवीए थी एवं 189 उपकेन्द्र की 9,721 एमवीए से क्षमता वृद्धि की योजना 2013–14 से पूर्व बनाई गयी थी।

वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान बनाई गयी योजना में नए बने उपकेन्द्रों एवं वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की स्थिति तालिका 2.5 में सारांकित की गयी है।

---

[11] पारेषण इकाई के सन्दर्भ में पारेषण क्षमता का अर्थ उत्पादन इकाई से वितरण इकाई तक अपने पारेषण नेटवर्क से ऊर्जा का चक्रण है।

[12] 220 केवी उपकेन्द्र मध्यवर्ती उपकेन्द्र होते हैं जो समस्त उपकेन्द्रों (उच्च के साथ साथ निम्न वोल्टेज उपकेन्द्र) से जुड़े रहते हैं। अतः कम्पनी की पारेषण क्षमता की गणना हेतु 220 केवी उपकेन्द्रों की परिवर्तन क्षमता ली गयी है।

[13] एमवीए को मिलियन यूनिट में परिवर्तित करने के मानक सूत्र के अनुसार।

तालिका–2.5: नवनिर्मित उपकेन्द्रों एवं वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का विवरण

वर्ष	नए उपकेन्द्रों का विवरण				वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का विवरण			
	नियोजित उपकेन्द्रों की संख्या	नियोजित उपकेन्द्रों की क्षमता (एमवीए में)	नियोजित उपकेन्द्रों की स्थिति (संख्या)		नियोजित उपकेन्द्रों की संख्या	नियोजित उपकेन्द्रों की क्षमता (एमवीए में)	नियोजित उपकेन्द्रों की स्थिति (संख्या)	
			पूर्ण	कार्य प्रगति पर			पूर्ण	कार्य प्रगति पर
2013-14	14	1,440	12	2	38	2,083	38	-
2014-15	52	12,118	29	23	28	1,389	27	1
2015-16	34	7,556	20	14	142	6,626	135	7
2016-17	21	7,394	1	20	94	4,629	84	10
2017-18	34	6,512	शून्य	34	81	5,080	13	68
योग	**155**	**35,020**	**62**	**93**	**383**	**19,807**	**297**	**86**

स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त वर्णित करता है कि लेखापरीक्षा की अवधि में निर्माण हेतु नियोजित 155 उपकेन्द्र (अनुमोदित लागत ₹ 9,954.31 करोड़) में से केवल 62 उपकेन्द्र (अनुमोदित लागत ₹ 2,655.79 करोड़) पूर्ण किये जा सके। शेष 93 उपकेन्द्रों (अनुमोदित लागत ₹ 7,298.52 करोड़) का निर्माण कार्य प्रगति पर था (मार्च 2018)। इसी प्रकार क्षमता वृद्धि हेतु नियोजित 383 उपकेन्द्रों (अनुमोदित लागत ₹ 1,940.31 करोड़) में से 297 उपकेन्द्रों (₹ 1,425.16 करोड़) की क्षमता वृद्धि की जा सकी एवं 86 उपकेन्द्रों (अनुमोदित लागत ₹ 515.15 करोड़) की क्षमता वृद्धि का कार्य प्रगति पर था।

179 उपकेन्द्र (नए उपकेन्द्र 93 एवं वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि हेतु 86) जिनका कार्य प्रगति पर था में से 47 उपकेन्द्र (नए उपकेन्द्र–39 एवं वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि–8) जो वर्ष 2015–16 तक नियोजित किये गए थे, दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं किये जा सके। क्षमतावार नियोजित उपकेन्द्र, पूर्ण किये गए उपकेन्द्र एवं ऐसे उपकेन्द्र जिनका कार्य 31 मार्च 2018 तक प्रगति पर था, का विवरण ***परिशिष्ट–2.3*** में दर्शाया गया है। इनके पूर्ण होने में विलम्ब के कारणों की चर्चा अग्रेतर प्रस्तर संख्या 2.22, 2.23, 2.24 एवं 2.25 में की गयी है।

परियोजना का नियोजन

2.11 मुख्य अभियंता (नियोजन) के अधीन कम्पनी की नियोजन इकाई पारेषण परियोजनाओं की औपचारिक नियोजन एवं उनके अनुमोदन हेतु केंद्रीय इकाई है। नए उपकेन्द्रों के निर्माण/वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की नयी परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फील्ड इकाइयों द्वारा निदेशक (संचालन) को भेजे जाते हैं। निदेशक (संचालन) के स्तर पर प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त, परियोजनाएं नियोजन इकाई द्वारा पारेषण कार्य समिति (टीडब्ल्यूसी) को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती हैं।

2.12 विद्युत अधिनियम[14] 2003 के अनुरूप, कम्पनी क्षमता विस्तार हेतु पंचवर्षीय योजना तैयार करती है एवं इसका अनुमोदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त करती है। सीईए ने हालाँकि 11वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजना अनुमोदित की, ऊर्जा निकासी परियोजनाओं को छोड़कर, 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17) का अनुमोदन, सीईए द्वारा प्रदान नहीं किया गया। वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान कम्पनी ने ग्रिड सुदृढ़ीकरण पारेषण परियोजनाओं को अपने टीडब्लूसी में प्रकरणवार

[14] विद्युत अधिनियम की धारा 39 को यूपीईआरसी की 'राज्यन्तारिक पारेषण प्रणाली में संयोजन देने हेतु अनुमोदित प्रक्रिया' के साथ पढ़ें तो राज्य पारेषण इकाई को राज्यन्तारिक पारेषण योजना सीईए के समन्वय से तैयार करनी होती है।

प्रस्तुत किया। अग्रेतर, कम्पनी ने 12 वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में निर्मित 400 केवी एवं 765 केवी उपकेन्द्रों हेतु सीईए से पृथक रूप से अनुमोदन प्राप्त किया।

2.13 कम्पनी के पास अपनी नियोजन प्रक्रिया के दिशानिर्देशन हेतु कोई परियोजना नियोजन एवं प्रबन्धन नियमावली (नियमावली) नहीं है। नियमावली नहीं होने के कारण विभिन्न परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में तदर्थ निर्णय लिए गए जिनकी चर्चा अग्रेतर प्रस्तरों 2.16, 2.17 एवं 2.18 में की गयी है।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि, चूँकि कम्पनी सीईए द्वारा निर्गत पारेषण नियोजन कसौटियों से सम्बन्धित मैनुअल, 2013 (एमटीपीसी) का अनुसरण करती है, अतः इसके लिए अपनी नियोजन नियमावली बनाना वांछनीय नहीं है। तथ्य यह है कि निर्धारित नीति अथवा प्रक्रिया के अभाव में स्थिति यह है कि नई परियोजनाओं से सम्बंधित कम्पनी की कोई नीति प्रलेखित नहीं है। समापन बैठक में प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने कम्पनी को नियमावली तैयार करने एवं बोर्ड से अनुमोदित कराने हेतु निर्देशित किया।

नए उपकेन्द्रों के निर्माण की दोषपूर्ण योजना

2.14 नए उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु परियोजना शुरू करने से पूर्व कम्पनी को संयोजित भार में वृद्धि स्वयं आंकलित करने के बजाय प्रत्याशित भार में वृद्धि का आंकलन वास्तविकता के आधार पर प्रयोक्ता इकाइयों अर्थात् डिस्कॉम्स से सुनिश्चित करते हुए करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दोषपूर्ण योजना के कारण कम्पनी ने भार के उचित आंकलन के बिना उपकेन्द्रों का निर्माण किया। नमूना जाँच की गयी इकाइयों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के परिणामों की नीचे चर्चा की गयी है:

(i) उपकेन्द्र स्थापित होने से एक वर्ष के अन्दर अतिभारित हुए

एमटीपीसी में वर्णित है कि किसी भी उपकेन्द्र पर अधिकतम भार उस पर स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, एमटीपीसी के प्रावधानों के दृष्टिगत, वर्तमान पारेषण परियोजनाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार प्रणाली की क्षमता वृद्धि एवं अतिरेक हेतु नियोजन होना चाहिए।

नमूना जाँच किये गए 89 नये उपकेन्द्रों में से, कम्पनी ने 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान 11 उपकेन्द्रों का, भविष्य के भार वृद्धि के वास्तविक आंकलन के बिना, निर्माण किया। भावी भार वृद्धि का आंकलन वास्तविक डाटा से समर्थित नहीं था। डिस्कॉम्स ने भी इसको सुनिश्चित नहीं किया था। परिणामस्वरूप, ये उपकेन्द्र स्थापित/क्षमता वृद्धि होने के एक वर्ष के अंदर अतिभारित हो गये जिसका विवरण ***परिशिष्ट–2.4*** में दिया गया है। इन उपकेन्द्रों की स्थिति को निम्न तालिका 2.6 में सारांकित किया गया है।

तालिका–2.6: स्थापित होने से एक वर्ष के अन्दर अतिभारित हुए उपकेन्द्रों का विवरण

उपकेन्द्रों की क्षमता	प्रकरणों की संख्या	अनुमोदित लागत (₹ करोड़ में)	स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत के विरुद्ध संयोजित भार का प्रतिशत
220 केवी	2	142.12	113 से 125
132 केवी	9	177.42	102 से 281

स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इन उपकेन्द्रों के स्थापित होने से एक वर्ष के अन्दर संयोजित भार का प्रतिशत 102 से 281 प्रतिशत तक विस्तारित था जो कम्पनी के अनुचित नियोजन को दर्शाता है। लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गए निम्नलिखित प्रकरणों में नियोजन में त्रुटियाँ प्रकट हुईं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि टीडब्लूसी ने 220 केवी उपकेन्द्र, नीबकरोरी, फर्रुखाबाद (विद्युत पारेषण खण्ड–फतेहगढ़) का निर्माण अनुमानित लागत ₹ 107.13 करोड़ पर अनुमोदित किया (जनवरी 2015)। उपकेन्द्र की प्रस्तावित क्षमता 200 एमवीए (2 x 100 एमवीए) थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 220 केवी उपकेन्द्र के प्रस्ताव के विचाराधीन एवं अनुमोदित होने के समय (जनवरी 2015), प्रस्तावित उपकेन्द्र से पोषित होने वाले 132 केवी उपकेन्द्रों की क्षमता पहले से 223 एमवीए[15] थी। टीडब्लूसी ने इसे अनदेखा किया जो आधारभूत कार्यों एवं नियोजन में कमी को दर्शाता है।

कम्पनी ने बताया (मार्च 2019) कि पारेषण ढांचे को स्थापित होने में तीन से पाँच वर्ष लगते हैं। इसने यह भी सूचित किया कि उपकेन्द्रों पर पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता का अनुमोदन किया जा चुका है। तथ्य यह है कि उपरोक्त उपकेन्द्र स्थापित/क्षमता वृद्धि किये जाने से एक वर्ष के अन्दर ही अतिभारित हो गये जो यह दर्शाता है कि टीडब्लूसी प्रत्याशित माँग को वास्तविक रूप से आंकलित करने में असफल रही।

(ii) अन्य अतिभारित उपकेन्द्र

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 132 केवी के 29 उपकेन्द्रों एवं 220 केवी के पाँच उपकेन्द्रों पर संयोजित भार, इनकी स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से ज्यादा था जैसा कि ***परिशिष्ट–2.5*** में विवरण दिया गया है। अतिभारित उपकेन्द्रों की स्थिति को नीचे तालिका 2.7 में सारांकित किया गया है।

तालिका–2.7: स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत के विरुद्ध अतिभारित उपकेन्द्रों का विवरण

उपकेन्द्रों की क्षमता	कुल अतिभारित उपकेन्द्रों की संख्या	स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से ऊपर अतिभारित उपकेन्द्रों की संख्या		
		25 से 50 प्रतिशत	50 से 100 प्रतिशत	100 प्रतिशत एवं इससे ऊपर
132 केवी उपकेन्द्र	29	14	11	4
220 केवी उपकेन्द्र	5	3	2	-
योग	**34**	**17**	**13**	**4**

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त 34 उपकेन्द्रों के अतिभारित होने के बावजूद कम्पनी, प्रणाली की समीक्षा करने एवं इन उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की योजना तैयार करने अथवा स्थिति को सुधारने हेतु नए उपकेन्द्रों के निर्माण की संभावना तलाशने में असफल रही। अतिभारित उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि करने में असफल होने के कारण भार में कटौती की गयी एवं वोल्टेज की गुणवत्ता खराब रही। पारेषण सुरक्षा प्रणाली का स्थायित्व एवं ग्रिड अनुशासन भी खतरे में रहा।

कम्पनी ने बताया (मार्च 2019) कि पारेषण नियोजन हेतु संयोजित भार कसौटी नहीं है। बल्कि 220 केवी एवं 132 केवी उपकेन्द्र की अतिभारिता वास्तविक समय में देखी जाती है। हालाँकि, किसी अतिभारिता को दूर करने के लिए नए उपकेन्द्र/उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की योजना बनाई गयी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमटीपीसी पारेषण नियोजन हेतु घटक के रूप में वास्तविक समय में अतिभारिता नहीं बल्कि संयोजित भार को विचारित करने हेतु बताता है। तथ्य यह है कि उपकेन्द्र अतिभारित थे।

(iii) उपकेन्द्रों पर निष्क्रिय क्षमता का सृजन

(अ) 132 केवी उपकेन्द्रों का नियोजन डिस्कॉम्स की प्रत्याशित माँग के अनुरूप करने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये उपकेन्द्र डिस्कॉम्स के वितरण नेटवर्क के 33 केवी उपकेन्द्रों से सीधे संयोजित होते हैं। अतः नये 132 केवी उपकेन्द्रों की क्षमता डिस्कॉम्स की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तावित की जानी चाहिए। नमूना जाँच किये गये

[15] 132 केवी कन्नौज–103 एमवीए, कायमगंज–40 एमवीए एवं नीबकरोरी–80 एमवीए।

89 उपकेन्द्रों में से लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने ₹ 90 करोड़ की अनुमोदित लागत से आवश्यकता से अत्यधिक क्षमता के 132 केवी के तीन उपकेन्द्रों का निर्माण किया। इसके परिणामस्वरूप सम्बंधित उपकेन्द्रों में निष्क्रिय क्षमता सृजित हुई जो स्थापित होने के दो वर्षों के पश्चात् भी उपयोग नहीं की जा सकी, जैसा कि तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–2.8: उपकेन्द्रों की निष्क्रिय क्षमता के सृजन को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एमवीए में)	टीडब्लूसी के अनुमोदन के समय प्रत्याशित भार (एमवीए में)	संयोजित भार (एमवीए में)	स्थापित होने का दिनांक (डीओसी)	अनुमोदित लागत (₹ करोड़ में)
1	विद्युत पारेषण खण्ड–II, प्रयागराज	132 केवी सलाय खुर्द	80	25	20	28.10.2016	42.00
2	विद्युत पारेषण खण्ड–I, वाराणसी	132 केवी कुरसातो	80	35	20	23.11.2016	31.00
3	विद्युत पारेषण खण्ड, बहराइच	132 केवी बेगमपुर	80	35	30	17.01.2017	17.00
योग			**240**	**95**	**70**		**90.00**

स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

(ब) पारेषण कम्पनी द्वारा 132 केवी उपकेन्द्रों का निर्माण सम्बंधित डिस्कॉम्स के अनुप्रवाह 33 केवी उपकेन्द्र के उपलब्धता/निर्माण से समक्रमिक होना चाहिए। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि 132 केवी के 80 एमवीए क्षमता के दो उपकेन्द्र[16] जो क्रमशः दिसम्बर 2016 एवं जून 2017 में ₹ 45.43 करोड़ की लागत से स्थापित हुए लेकिन डिस्कॉम[17] द्वारा सम्बंधित 33 केवी उपकेन्द्रों के निर्माण में देरी के कारण ये उपकेन्द्र अभी तक संयोजित नहीं हो सके। इसके परिणामस्वरूप ये उपकेन्द्र वाणिज्यिक भार पर अभी तक नहीं डाले जा सके क्योंकि इन उपकेन्द्रों पर अभी तक (नवम्बर 2018) कोई भार संयोजित नहीं किया जा सका। इससे न केवल ₹ 45.43 करोड़ का कोष अवरूद्ध रहा बल्कि केवल एक वर्ष में ₹ 9.59 करोड़[18] की चक्रण शुल्क की हानि हुई। यह पारेषण इकाई एवं डिस्कॉम के मध्य समक्रमिकता के अभाव का संकेतक है।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि पारेषण उपकेन्द्र वर्तमान भार, डिस्कॉम के भार आंकलन एवं डीपीआर के अनुसार उनके भावी संयोजित भार के अनुसार सृजित किये गए। अतः, कम्पनी के स्तर पर कोई गलती नहीं थी। तथ्य यह है कि उपरोक्त उपकेन्द्र या तो अतिभारित थे या उनकी क्षमता निष्क्रिय थी जो त्रुटिपूर्ण नियोजन प्रक्रिया का संकेतक था।

(iv) उपकेन्द्रों की अधिकतम अनुमन्य सीमा से अधिक स्थापित क्षमता

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्गत पारेषण नियोजन कसौटियों से सम्बन्धित मैनुअल, 2013 (एमटीपीसी) विभिन्न उपकेन्द्रों पर अनुमन्य अधिकतम क्षमता को प्रावधानित करता है जो 220 केवी के लिए 320 एमवीए एवं 132 केवी उपकेन्द्रों के लिए 150 एमवीए है।

---

[16] आजमगढ़ जिले में रानी की सराय एवं बिन्दवल जयराजपुर प्रत्येक 40 एमवीए क्षमता के जिनकी लागत क्रमशः ₹ 31.50 करोड़ एवं ₹ 13.93 करोड़ थी।

[17] पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

[18] 80 एमवीए * 80 प्रतिशत * 0.9 * 24 घंटे * 365 दिन * ₹ 0.19/1000 = ₹ 9.59 करोड़ (चक्रण शुल्क ₹ 0.19 प्रति यूनिट की दर पर)।

लेखापरीक्षा ने चयनित इकाइयों में देखा कि 220 केवी के दो उपकेन्द्रों[19] की क्षमता दिसम्बर 2016 से मई 2019 के मध्य अधिकतम अनुमन्य स्तर से अधिक थी।

समान प्रकृति की टिप्पणी 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) उत्तर प्रदेश सरकार में समाहित यूपीपीटीसीएल की निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रस्तर 2.1.28 में की गयी थी। हालाँकि अनियमितता अभी भी बनी हुई है।

संस्तुतिः कम्पनी के पास परियोजना नियोजन एवं प्रबन्धन नियमावली होनी चाहिए। भावी आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखते हुए इसे पारेषण परियोजनाओं हेतु दीर्घ अवधि की योजना तैयार करनी चाहिए।

अनुबन्ध एवं क्रय प्रबन्धन

2.15 अपनाई गई प्रथा के अनुसार, कम्पनी समस्त अनुमोदित परियोजनाओं हेतु आवश्यक मुख्य सामग्रियों की मात्रा पहले आंकलित करती है एवं प्रत्येक मुख्य सामग्री हेतु पृथक निविदा आमंत्रित करती है। अग्रेतर, क्रय की वृहद् मात्रा के कारण निविदित मात्रा सभी अर्हता प्राप्त निविदाकर्ताओं को कॉर्पोरेट भण्डार क्रय समिति (सीएसपीसी) द्वारा अनुमोदित निम्नतम दर पर प्रति प्रस्ताव करते हुए वितरित कर दी जाती हैं।

कम्पनी ने न कोई क्रय नीति/नियमावली निर्धारित की और न ही कोई सामयिक क्रय योजना तैयार की। कम्पनी ने नई परियोजनाओं (उपकेन्द्र), विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि एवं संचालन और रखरखाव (ओ एण्ड एम) कार्यों हेतु सामग्री की आवश्यकता के विरुद्ध क्रय तदर्थ रूप से खुली निविदा के माध्यम से किया। अनुबन्ध एवं क्रय प्रबन्धन से सम्बन्धित कमियों की चर्चा अग्रेतर प्रस्तरों में की गयी है।

निर्माण कार्यों के साथ समक्रमिकता बिना सामग्री का क्रय

2.16 पारेषण प्रणाली की लागत कम करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं से सामग्रियों को स्थल पर वास्तविक आवश्यकता के समय प्राप्त करना चाहिए तथा इसे निर्माण कार्यों के साथ समक्रमिक होना चाहिए। अन्यथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री निष्क्रिय पड़ी रहेगी जिससे सम्बंधित धारित लागत के साथ कोष अवरुद्ध रहेगा। चूंकि कम्पनी परियोजना लागत का 70 प्रतिशत आरईसी/पीएफसी से प्रचलित ब्याज दरों (10.50 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत के मध्य विस्तारित) पर ऋण के रूप में प्राप्त करती है, अतः सम्बंधित धारण लागत बहुत ज्यादा होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने मुख्य सामग्री अर्थात परिवर्तक एवं कंडक्टर क्रय करते समय स्थल पर वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा। अग्रेतर, क्रय को निर्माण कार्यों से समक्रमिक नहीं किया गया। नमूना जाँच की गयी 42 इकाइयों में से 14 इकाइयों[20] के 32 प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने देखा कि 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान ₹ 85.26 करोड़ मूल्य की सामग्री फील्ड इकाइयों द्वारा प्रत्याशित उपयोग से अत्यधिक पूर्व में प्राप्त की गयी। 16 प्रकरणों में सामग्री छः माह की अवधि तक प्रयोग में नहीं लाई जा सकी, पाँच प्रकरणों में सामग्री का प्रयोग छः से 12 माह तक नहीं किया जा सका जबकि 11 प्रकरणों में सामग्री 12 माह से अधिक अवधि हेतु निष्प्रयोज्य पड़ी रही। परिणामस्वरूप, सामग्री एक माह से अड़तीस माह (तीन माह लीड अवधि के रूप में छोड़कर) तक विस्तारित अवधि में प्रयोग नहीं की जा सकी जैसा कि ***परिशिष्ट–2.6*** में विवरण दिया गया है। कम्पनी ने इन सामग्रियों हेतु आपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात आपूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान कर दिया।

---

[19] 220 केवी उपकेन्द्रः रीवा रोड (520 एमवीए) एवं बरहुआ (520 एमवीए)।

[20] विद्युत पारेषण खण्ड (ईटीडी)–मऊ; ईटीडी–गोरखपुर; ईटीडी–अलीगढ; ईटीडी–II वाराणसी; ईटीडी–II आगरा; ईटीडी–आजमगढ़; ईटीडी–बहराइच; ईटीडी–बाँदा; ईटीडी–फैजाबाद; ईटीडी–I लखनऊ; ईटीडी–II इलाहाबाद; ईटीडी–II कानपुर; ईटीडी–III वाराणसी; ईटीडी–सीतापुर।

निर्माण कार्यों के साथ समक्रमिकता सुनिश्चित किये बिना किये गए क्रय से ब्याज भुगतान के रूप में ₹ 5.45 करोड़[21] का परिहार्य बोझ पड़ा। क्रय की गयी सामग्री के निष्प्रयोज्य पड़े रहने से इनकी गुणवत्ता खराब होने की प्रबल सम्भावना थी।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि कुछ प्रकरणों में सामग्री की आपूर्ति एवं निर्माण में असंतुलन कुछ अदृष्ट कारणों से होता है एवं यदि ऐसा अनुभव होता है कि आवंटित सामग्री का प्रयोग अधिक समय तक नहीं हो पायेगा तो इनका दूसरे कार्यों पर आवंटन हेतु विचार किया जाता है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 85.26 करोड़ मूल्य की मुख्य श्रेणियों की सामग्री अर्थात परिवर्तक एवं कंडक्टर एक माह से अड़तीस माह तक विस्तारित अवधि में निष्प्रयोज्य पड़े थे जो इंगित करता है कि इनका पुनर्नियोजन नहीं किया गया।

टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) से परिवर्तकों का क्रय

2.17 ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रॉन्समिशन सिस्टम (बीपीआईटीएस) में पारेषण लाइनों एवं उपकेन्द्रों के कार्यों एवं सामग्री के क्रय हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। बीपीआईटीएस का प्रस्तर 5(i) प्रावधानित करता है कि उपकेन्द्रों के निर्माण को टर्नकी आधार पर निष्पादित किया जाये जिसमें ट्रान्सफार्मर/रिएक्टर को अलग से क्रय किया जायेगा एवं टर्नकी ठेकेदार द्वारा लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2013–14 से 2107–18 के मध्य 116 उपकेन्द्र जो टर्नकी आधार पर अनुबन्धित किये गए, में से 102 उपकेन्द्रों (88 प्रतिशत) कम्पनी ने परिवर्तकों की आपूर्ति के बिना प्रदान किये जबकि 14 उपकेन्द्रों (12 प्रतिशत) के प्रकरणों में निर्माण कार्य परिवर्तकों की आपूर्ति के साथ प्रदान किये। इन 14 उपकेन्द्रों जो टर्नकी आधार पर परिवर्तकों की आपूर्ति के साथ प्रदान किये गए थे, की अग्रेतर जाँच में लेखापरीक्षा ने निम्न देखा:

(i) 220 केवी उपकेन्द्रों के निर्माण के चार प्रकरणों में टर्नकी ठेकेदारों द्वारा आपूर्तित परिवर्तकों की लागत, कम्पनी द्वारा उसी अवधि में स्वयं क्रय किये गए समान क्षमता के परिवर्तकों की तुलना में 24 प्रतिशत से 68 प्रतिशत अधिक थी। इसके परिणामस्वरुप ₹ 15.64 करोड़ की हानि हुई जिसका विवरण ***परिशिष्ट–2.7*** में दिया गया है।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि दोनों क्रय की दरों में तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों क्रय में भुगतान की शर्तों में अन्तर है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को टर्नकी अनुबन्ध के अन्तिमीकरण से पहले ही परिवर्तकों के दर की अच्छी तरह से जानकारी थी एवं लेखापरीक्षा की जाँच से स्पष्ट हुआ कि टर्नकी ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति किये गए परिवर्तक कम्पनी द्वारा समान क्षमता के स्वयं क्रय किये गए परिवर्तकों की तुलना में अधिक खर्चीले (24 प्रतिशत से 68 प्रतिशत) थे। कीमत में इस वृहद् भिन्नता को भुगतान की विभिन्न शर्तों के आधार पर तर्कसंगत नहीं किया जा सकता।

(ii) चार प्रकरणों में टीकेसी को परिवर्तकों की आपूर्ति हेतु ₹ 8.56 करोड़ का भुगतान उनके वास्तविक निर्माण से 28 माह से 41 माह पूर्व किये जाने के कारण ₹ 1.73 करोड़ के ब्याज की हानि हुई जैसा कि तालिका 2.9 में विवरण दिया गया है।

[21] स्थापना हेतु तीन माह लीड अवधि छोड़कर सामग्री के मूल्य के 70 प्रतिशत पर 10.50 प्रतिशत, जो कि सबसे कम दर थी, की दर से नवम्बर 2018 तक गणना की गयी।

तालिका–2.9: निर्माण से अत्यधिक पूर्व टीकेसी को परिवर्तकों के क्रय हेतु भुगतान का विवरण

टीकेसी/परियोजना का नाम	संख्या एवं परिवर्तक की क्षमता	आपूर्ति/निर्माण का दिनांक	मूल्य (₹ करोड़ में)	टीकेसी को किया गया भुगतान (आपूर्ति मूल्य का 70 प्रतिशत)	लीड अवधि के रूप में तीन माह को छोड़ते हुए परिवर्तकों के निष्प्रयोज्य पड़े रहने की अवधि (माह में)	ब्याज की हानि ₹ करोड़ में (टीकेसी को किये गये भुगतान के 70 प्रतिशत[22] पर 10.5 प्रतिशत की दर से गणना की गयी)
मेसर्स सीजीएल/220 केवी सिराथू	160 एमवीए	अक्टूबर 2011/जून 2014	4.70	3.29	28	0.56
मेसर्स सीजीएल/220 केवी सिराथू	160 एमवीए	अक्टूबर 2011/जुलाई 2015	4.70	3.29	41	0.83
मेसर्स पीएमई/132 केवी सराय अकिल	20 एमवीए	नवम्बर 2012/जुलाई 2015	1.42	0.99	28	0.17
मेसर्स पीएमई/132 केवी सराय अकिल	20 एमवीए	नवम्बर 2012/जुलाई 2015	1.42	0.99	28	0.17
योग			**12.24**	**8.56**		**1.73**

स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि उपकेन्द्रों के निर्माण में देरी के कारण परिवर्तकों की स्थापना में विलम्ब हुआ। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये उपकेन्द्र टर्नकी आधार पर दिए गए थे। अतः टर्नकी ठेकेदारों को विलम्ब, यदि कोई हो, की अच्छी तरह जानकारी थी। अतः टर्नकी ठेकेदार द्वारा परिवर्तकों की आपूर्ति, स्थल पर वास्तविक आवश्यकता को समक्रमिक करते हुए की जानी चाहिए थी।

इस प्रकार, कम्पनी ने बीपीआइटीएस की अनुशंसाओं का 102 प्रकरणों (88 प्रतिशत) में अनुकरण किया लेकिन 14 प्रकरणों (12 प्रतिशत) में बिना किसी कारण को प्रलेखित किये विचलन किया जिसके परिणामस्वरूप टर्नकी अनुबन्धों में परिवर्तकों की आपूर्ति शामिल किये जाने के कारण ₹ 17.37 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि टर्नकी अनुबन्धों में परिवर्तकों को शामिल न करना अनिवार्य नहीं है एवं इसीलिए कुछ टर्नकी अनुबन्धों में देरी से बचने के लिए परिवर्तकों को शामिल किया गया। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित (सितम्बर 2019) किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने 102 प्रकरणों (88 प्रतिशत) में बीपीआइटीएस का अनुकरण किया और इन परियोजनाओं में परिवर्तकों की आपूर्ति में देरी के कारण कोई विलम्ब नहीं हुआ।

अनुबन्ध के महत्वपूर्ण उपबन्ध को लागू करने में विफलता

2.18 ''निविदादाताओं को निर्देश'' उपबन्ध के अनुसार यदि आदेशित उपकरण की मात्रा निर्धारित वितरण तिथि एवं नयी निविदा के अन्तिमीकरण तक अनापूर्तित रहती है एवं उपकरण की कीमत नयी निविदा में गिर जाती है, तो अनुबन्धकर्ता को उपकरण की कीमत नयी निविदा की कीमत के स्तर तक कम करना होगा। हालाँकि इस उपबन्ध को लागू नहीं किया गया जैसा कि निम्न प्रस्तर में बताया गया है।

परिवर्तकों के क्रय हेतु कम्पनी ने 2013–14 से 2017–18 की अवधि के मध्य विभिन्न निविदाएँ आमंत्रित की। लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्ववर्ती निविदा की वैधता अवधि में,

[22] परियोजना की कुल लागत में ऋण का भाग।

अगली निविदा में अन्तिमीकृत की गई दर पूर्ववर्ती निविदा की दरों की तुलना में कम पायी गयी। कीमतों में कमी का लाभ प्राप्त करने हेतु कम्पनी को पूर्ववर्ती निविदा की शेष मात्रा की आपूर्ति अगली निविदा की दरों पर करने हेतु आग्रह करके अनुबन्ध के उपरोक्त उल्लिखित उपबन्ध को लागू कराना चाहिए था। ऐसा करने में असफल रहने के कारण ₹ 2.77 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ जैसा कि निम्न तालिका 2.10 में विवरण दिया गया है।

तालिका–2.10:अनुवर्ती निविदा के बजाय पूर्ववर्ती निविदा की दरों पर क्रय किये गए परिवर्तकों का विवरण

परिवर्तकों की क्षमता	पूर्ववर्ती निविदा संख्या	निविदित मात्रा (संख्या)	दर ₹ करोड़ में (प्रति परिवर्तक)	पूर्ववर्ती निविदा के विरुद्ध क्रय हेतु शेष मात्रा	अनुवर्ती निविदा संख्या	निविदित मात्रा (संख्या)	दर ₹ करोड़ में (प्रति परिवर्तक)	अन्तर (₹ करोड़ में)	अतिरिक्त व्यय (₹ करोड़ में)
63 एमवीए	ईएसडी/377	22	1.87	7	ईएसडी /403	35	1.79	0.09	0.56
63 एमवीए	ईएसडी/403	35	1.79	11	ईएसडी /426	42	1.72	0.07	0.77
40 एमवीए	ईएसडी/376	28	1.51	12	ईएसडी /430	25	1.39	0.12	1.44
योग				**30**					**2.77**

स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

इसके अतिरिक्त, सभी प्रकरणों में दोनों पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती निविदा में फर्में समान थीं। समान प्रकृति की टिप्पणी 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), उत्तर प्रदेश सरकार में समाहित यूपीपीटीसीएल की निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रस्तर 2.1.18 में की गयी थी।

शासन/कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि फर्मों द्वारा 23 परिवर्तकों की अंतिम जाँच का प्रस्ताव अगली निविदा के अन्तिमीकरण के पश्चात दिया गया था। अतः सम्बन्धित फर्मों से ₹ 2.09 करोड़ की वसूली अपेक्षित है। इसकी वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। तथ्य यह है कि वसूली अभी भी की जानी है।

अनुबन्ध के उपबन्ध का उल्लंघन करके अनुबन्धकर्ता को अनुचित लाभ

2.19 कम्पनी ने एक ठेकदार को 400 केवी डीसी लाइन की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण एवं प्रवर्तन का कार्य दो पैकेजों[23] में क्रमशः ₹ 90.96 करोड़ एवं ₹ 205.94 करोड़ की अनुबन्धित लागत पर प्रदान (नवम्बर 2010) किया। हालाँकि, खराब प्रगति एवं ठेकेदार की अनिच्छा के कारण कम्पनी द्वारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया (मई 2014)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबन्ध के विशेष नियम एवं शर्तों का उपबन्ध 19.1 प्रावधानित करता है कि कार्य के सही गुणवत्ता एवं संतोषजनक निष्पादन हेतु ठेकेदार को अनुबन्ध के मूल्य के 10 प्रतिशत की परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करना आवश्यक थी जो संयंत्र को अधिकार में लेने के 12 माह पश्चात् तक वैध होगी। इस प्रकार, ठेकेदार को कुल लागत (₹ 90.96 करोड़ + ₹ 205.94 करोड़) के 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 29.69 करोड़ की पीबीजी जमा करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि विद्युत पारेषण परिकल्पना मण्डल ने बिना किसी कारण को प्रलेखित किये, सम्पूर्ण 10 प्रतिशत की पीबीजी लेने के बजाय ठेकेदार के रनिंग बिलों से 10 प्रतिशत पीबीजी काटा। इसके परिणामस्वरूप अनुबन्ध निरस्त करते समय

[23] पैकेज–1 के अन्तर्गत 400 केवी डीसी बाँदा–उरई की 100 किमी. लाइन एवं पैकेज–2 के अन्तर्गत 400 केवी डीसी बाँदा–इलाहाबाद की 200 किमी.।

₹ 29.69 करोड़ की आवश्यक राशि के सापेक्ष सिर्फ ₹ 18.37 करोड़ ही जब्त करने हेतु उपलब्ध थे।

इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 11.32 करोड़ (₹ 29.69 करोड़ – ₹ 18.37 करोड़) का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

शासन/कम्पनी ने लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार किया (सितम्बर 2019) एवं बताया कि अब एलओआई निर्गत करने से 30 दिनों के अन्दर पीबीजी जमा कराई जा रही है, जिसके बिना किसी भी बिल के भुगतान की प्रक्रिया नहीं की जा रही है। यद्यपि टिप्पणी को स्वीकार कर लिया गया किन्तु ₹ 11.32 करोड़ के हानि की वसूली पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, उत्तर में अनुबन्ध के प्रावधान के स्पष्ट उल्लंघन में ठेकेदार को पीबीजी जमा करने से छूट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की भी चर्चा नहीं की गयी।

गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को नहीं उठाना/वापस करना

2.20 आपूर्तिकर्ताओं के साथ किये गए अनुबन्ध के अनुसार, आपूर्ति किये गए परिवर्तक ऊर्जीकरण की तिथि से 60 माह/आपूर्ति की तिथि से 66 माह, जो भी पहले हो, तक गारंटी में आच्छादित होते हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि एक वर्ष से पाँच वर्ष की अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी आपूर्तिकर्ता द्वारा 60/66 माह की गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुए ₹ 24.75 करोड़ मूल्य के 63 एमवीए के 15 परिवर्तक नहीं उठाये गए। इन परिवर्तकों को अब त्रुटिपूर्ण के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया गया। अग्रेतर, विद्युत पारेषण खण्ड (ईटीडी), बाँदा में फर्म द्वारा गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त 63 एमवीए का एक 132/33 केवी परिवर्तक उठा लिया गया (अक्टूबर 2017) किन्तु मरम्मत के बाद अभी तक (नवम्बर 2018) वापस नहीं किया गया।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि ₹ 5.20 करोड़ का एक बिल रोक लिया गया है, ₹ 1.80 करोड़ की बैंक गारंटी (बीजी) भुना ली गयी है और ₹ 13.64 करोड़ की बीजी कम्पनी के पास उपलब्ध है एवं इन क्षतिग्रत परिवर्तकों की मरम्मत इस राशि से करायी जाएगी। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। तथ्य यह है कि परिवर्तकों की मरम्मत अभी तक नहीं करायी गयी थी एवं बीजी नहीं भुनाई गयी थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास उपलब्ध राशि क्षतिग्रस्त हानि को वसूल करने हेतु पर्याप्त नहीं थी। इस प्रकार, अनुबन्ध की शर्तों को संज्ञान में लेने की विफलता के कारण कम्पनी नुकसान की पर्याप्त भरपाई से वंचित हो गयी।

संस्तुतियां: कम्पनी की एक क्रय नीति/अधिप्राप्ति नियमावली होनी चाहिए। इसकी अधिप्राप्ति योजना परियोजनाओं के क्रियान्वयन के समक्रमिक होनी चाहिए। इसको अनुबन्ध के प्रावधानों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक तन्त्र बनाना चाहिए।

परियोजना का अधिनिर्णय एवं क्रियान्वयन

2.21 एक पारेषण परियोजना के तीन भाग होते हैं यथा, उपकेन्द्र, उपकेन्द्र की पोषक लाइनें एवं अन्य पारेषण/वितरण उपकेन्द्रों को पोषित करने के लिए बहिर्गामी लाइनें। कम्पनी ने पारेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पैकेजों की परिकल्पना तैयार की एवं इनको विभिन्न टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) को नए उपकेन्द्र के कार्य के क्रियान्वयन हेतु आवंटित किया। इसके अलावा नए उपकेन्द्र विभागीय पद्धति से भी बनाये गए। विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य विभागीय पद्धति से किया गया।

परियोजनाओं के अधिनिर्णय हेतु कम्पनी ने खुली निविदाएँ आमंत्रित की एवं कॉर्पोरेट भण्डार क्रय समिति (सीएसपीसी) से अनुमोदन के उपरान्त टर्नकी ठेकेदारों/फर्मों (एल–1 निविदाकर्ता) को आशय पत्र (एलओआई) निर्गत किया। एलओआई निर्गत करने के उपरान्त, कम्पनी के सम्बंधित विद्युत पारेषण खण्डो द्वारा कार्यों को निष्पादित कराया गया।

परियोजनाओं के अधिनिर्णय एवं उनके क्रियान्वयन में देखी गयी कमियों की नीचे चर्चा की गयी है।

परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब

2.22 परियोजनाओं के निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2005 में गठित टास्क फोर्स ने व्यक्त किया कि प्रारम्भिक कार्यों (जैसे–सर्वेक्षण, परिकल्पना एवं परीक्षण, वन एवं अन्य वैधानिक अनुमति की कार्यवाही, निविदा कार्यवाही इत्यादि) को परियोजना के मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण के अग्रिम/समानांतर करके परियोजना की क्रियान्वयन अवधि में बड़ी कमी संभव है। इसे 24 माह के लक्षित अवधि में पूर्ण करने हेतु पारेषण लाइन/परियोजना की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है। टास्क फोर्स के सुझावों के क्रम में कम्पनी ने 132 केवी, 220 केवी एवं 400 केवी उपकेन्द्रों को अधिनिर्णय की तिथि से क्रमशः 12 माह, 18 माह एवं 24 माह की समय अवधि में परियोजना को पूर्ण करने के लक्ष्य को अंगीकार किया है। हालाँकि, कम्पनी ने विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के कार्य को पूर्ण करने हेतु कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की है। अतः लेखापरीक्षा ने ऐसे प्रकरणों में लक्षित समय अवधि छः माह मानी है।

2013–14 से 2015–16[24] के मध्य नियोजित 100 नए उपकेन्द्रों में से 72 एवं 2013–14 से 2016–17[25] के मध्य 302 उपकेन्द्रों की नियोजित क्षमता वृद्धि में से 93 उपकेन्द्रों में विलम्ब की सारांकित स्थिति को तालिका 2.11 में वर्णित किया गया है।

तालिका–2.11: 2013–14 से 2017–18 के मध्य विलम्ब की स्थिति को दर्शाता विवरण

(माह में)

उपकेन्द्रों की क्षमता	प्रकरणों की संख्या	नए उपकेन्द्रों/उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि हेतु टीडब्लूसी से 24/6 माह से अधिक कुल विलम्ब माह में	विभिन्न चरणों में विलम्ब		
			कार्यों के अधिनिर्णय में विलम्ब (नए उपकेन्द्रों/उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि हेतु टीडब्लूसी से दो/एक माह छोड़कर/प्रकरणों की संख्या)	स्पष्ट स्थल सौंपने में विलम्ब (अधिनिर्णय की तिथि से एक माह छोड़कर/प्रकरणों की संख्या)	ठेकेदार द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब (अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित तिथि से ऊपर/प्रकरणों की संख्या)
नए उपकेन्द्रों से सम्बंधित विवरण					
132 केवी	48	1 से 35	3 से 45/(28)	1 से 21/(16)	2 से 21/(20)
220 केवी	22	1 से 37	2 से 21/(19)	1 से 9/(12)	4 से 22/(7)
400 केवी	2	6 से 20	10 एवं 14/(2)	19 एवं 36/(2)	दोनों कार्य अभी प्रगति पर हैं
योग	**72**				
उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि से सम्बंधित विवरण					
132 केवी	56	7 से 28	1 से 28/(49)	-	1 से 17/(39)
220 केवी	31	8 से 33	5 से 30/(24)	-	1 से 19 (20)
400 केवी	6	8 से 23	13 से 16/(4)	-	3 से 11/(5)
योग	**93**				
महायोग	**165**				

स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

लेखापरीक्षा की अवधि में अधिनिर्णित किये गए उपकेन्द्रों के निर्माण/क्षमता वृद्धि में एक से 37 माह का विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि विलम्ब के मुख्य कारण समानांतर कार्यों का न किया जाना, भूमि की पहचान/अधिग्रहण में विलम्ब/सिविल कार्यों के क्रियान्वयन की अनदेखी एवं फर्मों द्वारा खराब निष्पादन थे। नए उपकेन्द्रों के

[24] नए उपकेन्द्रों को पूर्ण करने हेतु टीडब्लूसी द्वारा अनुमोदन की तिथि से 24 माह की लक्षित तिथि को ध्यान में रखते हुए 2015–16 तक नियोजित परियोजनाओं में विलम्ब का विश्लेषण किया गया।

[25] उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि को पूर्ण करने हेतु टीडब्लूसी द्वारा अनुमोदन की तिथि से छः माह की लक्षित तिथि को ध्यान में रखते हुए 2016–17 तक नियोजित परियोजनाओं में विलम्ब का विश्लेषण किया गया।

निर्माण/विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि में विलम्ब के कारण आपूर्ति वोल्टेज में सुधार, विद्यमान उपकेन्द्रों पर भार में कमी के नियत लाभ प्राप्त होने में भी विलम्ब हुआ। यह स्पष्ट करता है कि समीक्षा तन्त्र प्रभावी नहीं था।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि टीडब्लूसी के अनुमोदन के पश्चात् कार्यों के अधिनिर्णय में विलम्ब के मुख्य कारण निदेशक मण्डल, मूल्यांकन समिति, एनर्जी टास्क फोर्स एवं कैबिनेट से अनुमोदन में विलम्ब थे। क्रियान्वयन में विलम्ब के सम्बन्ध में यह बताया गया कि कभी–कभी विलम्ब होने के कारण नियंत्रण से बाहर एवं उपकेन्द्रों की भूमि से गुजरने वाली लाइनों के स्थानान्तरण होते हैं। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। तथ्य यह है कि टीडब्लूसी के अनुमोदन के उपरान्त अनुबन्धों के अधिनिर्णय में विलम्ब 45 माह तक विस्तारित था। इसी तरह, क्रियान्वयन में विलम्ब 22 माह तक विस्तारित था। यह इंगित करता है कि 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), उत्तर प्रदेश सरकार में समाहित यूपीटीसीएल की निष्पादन लेखापरीक्षा में नियोजित परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने हेतु लेखापरीक्षा द्वारा दी गयी अनुशंसा पर कार्यवाही नहीं की गयी।

उपकेन्द्रों एवं लाइनों (लेखापरीक्षा अवधि में प्रारंभ/क्रियान्वित) के निर्माण से सम्बंधित अत्यधिक विलम्ब के कुछ प्रकरणों की चर्चा नीचे की गयी है।

132 केवी जीआई उपकेन्द्र हनुमान सेतु, लखनऊ

2.23 टीडब्लूसी ने 2 x 40 एमवीए (जुलाई 2012 में क्षमता बढ़ाकर 2 x 63 एमवीए कर दी गयी) 132 केवी गैस रोधक उपकेन्द्र (जीआईएस) का निर्माण सम्बंधित 132 केवी भूमिगत लाइनों के साथ अनुमोदित किया (मार्च 2011)। हालाँकि, ठेकेदार को स्पष्ट स्थल जुलाई 2017 में सौंपा जा सका। नयी फर्म ने निर्माण कार्य जुलाई 2017 में प्रारंभ किया जो अभी तक प्रगति में है (मई 2019)। उपकेन्द्र को पोषित करने हेतु 93 किमी. (कुल 107.90 किमी. में से) भूमिगत तार का कार्य ₹ 134.66 करोड़ की लागत से अक्टूबर 2012 में पूर्ण किया जा चुका था।

इस उपकेन्द्र को 33/11 केवी के पाँच उपकेन्द्रों[26] को पोषित करने हेतु नियोजित किया गया था (मार्च 2011)। हालाँकि, सात वर्षों से ज्यादा व्यतीत होने के पश्चात् भी उपकेन्द्र अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है एवं नियत 33/11 केवी के उपकेन्द्र तीन[27] अन्य 132 केवी उपकेन्द्रों से पोषित किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने पूर्वकथित 132 केवी उपकेन्द्र के पूर्ण न होने के कारण विद्युत की कोई भी प्रतिकूल आपूर्ति (गुणवत्ता एवं मात्रा) प्रतिवेदित नहीं की। उपरोक्त तथ्य के बावजूद, टीडब्लूसी द्वारा वर्तमान आवश्यकता की समीक्षा के तन्त्र के बिना उपकेन्द्र का निर्माण कार्य टीडब्लूसी के अनुमोदन के सात वर्षों से अधिक के पश्चात भी किया जा रहा है।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि 132 केवी हनुमान सेतु उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति में है और जून 2019 में पूर्ण होना प्रत्याशित है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)।

220 केवी उपकेन्द्र भेलूपुर, वाराणसी का निर्माण

2.24 टीडब्लूसी ने वाराणसी शहर में निर्विघ्न एवं उचित विद्युत आपूर्ति हेतु 220 केवी भेलूपुर उपकेन्द्र एवं इसकी सम्बंधित लाइनों को पुराने भेलूपुर उपकेन्द्र की परित्यक्त भूमि पर ₹ 214.93 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया (सितम्बर 2007)। उपकेन्द्र का निर्माण पाँच किमी. की 220 केवी भूमिगत केबल (सामनेघाट से भेलूपुर उपकेन्द्र तक) एवं 220 केवी साहूपुरी–सामनेघाट लाइन की पोषक लाइन के साथ

[26] इक्का स्टैंड, लखनऊ यूनिवर्सिटी, रेजीडेंसी, दारूल शफा एवं हनुमान सेतु।

[27] मेहताब बाग, मार्टिनपुरवा एवं गोमती नगर।

विभागीय पद्धति से करना था एवं समापन अगस्त 2009 में निर्धारित था। 220 केवी भूमिगत केबलिंग का कार्य ₹ 67.57 करोड़ की निर्माण लागत से मार्च 2013 में पूर्ण हुआ। 220 केवी साहूपुरी–भेलूपुर लाइन (पोषक लाइन) को पूर्ण करने हेतु कम्पनी एमओईएफ, जीओआई से आवश्यक अनुमति समय से प्राप्त करने में असफल रही जिसके कारण निर्धारित पूर्णता अवधि से सात वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् उपकेन्द्र उर्जीकृत किया जा सका (मार्च 2016)। अग्रेतर, 220 केवी भूमिगत केबल कार्य पर खर्च किये गये ₹ 67.57 करोड़ की राशि भी मार्च 2013 से अप्रैल 2016 तक अवरुद्ध रही।

इस उपकेन्द्र को 33/11 केवी के आठ उपकेन्द्रों[28] को पोषित करने हेतु नियोजित किया गया था (सितम्बर 2007)। हालाँकि, उपकेन्द्र टीडब्लूसी से अनुमोदन के नौ वर्ष पश्चात् भी ऊर्जीकृत नहीं किया जा सका एवं नियत 33/11 केवी के उपकेन्द्र तीन[29] अन्य 132 केवी उपकेन्द्रों से पोषित किये जा रहे थे। उपकेन्द्र के उर्जीकरण में विलम्ब के कारण सम्बंधित क्षेत्र में आपूर्ति वोल्टेज प्रभावित रहा। सात वर्षों के वृहद् विलम्ब के तथ्य के पश्चात् भी वर्तमान आवश्यकता हेतु उपकेन्द्र के निर्माण के औचित्य की पुर्नवैधता हेतु टीडब्लूसी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि विभिन्न विभागों से कई अनुमति प्राप्त करने के कारण विलम्ब हुआ। इसने आगे बताया कि टीडब्लूसी नियमित रूप से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करती है एवं आवश्यकता के अनुरूप उन्हें निरस्त/संशोधित करती है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टीडब्लूसी सिर्फ उन्ही प्रकरणों की समीक्षा करती है जिनमें फील्ड इकाईयों द्वारा ऐसे संशोधनों हेतु भेजे गए प्रस्ताव पर आधारित संशोधन की आवश्यकता होती है।

400 केवी जीआईएस, हरदोई रोड, लखनऊ

2.25 लखनऊ शहर में विद्युत प्रबन्धन को सशक्त करने हेतु टीडब्लूसी ने 400 केवी उपकेन्द्र, हरदोई रोड, लखनऊ एवं सम्बंधित लाइनों का निर्माण कार्य अनुमानित लागत ₹ 245 करोड़ पर अनुमोदित किया (जुलाई 2014)। प्रस्तावित उपकेन्द्र का उद्देश्य लखनऊ विद्युत आपूर्ति प्रशासन (लेसा) के 33 केवी उपकेन्द्रों की 2,200 एमवीए की परिवर्तन क्षमता को मार्च 2015 तक पूर्ण करना था। इस क्षेत्र हेतु क्षमता वृद्धि की योजनाओं को सम्मिलित करते हुए कम्पनी की वर्तमान परिवर्तन क्षमता 2,186 एमवीए थी ।

कम्पनी ने उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आशय पत्र (एलओआई) एक फर्म को ₹ 176.63 करोड़ की अनुबन्धित लागत पर जारी किया (जनवरी 2017)। हालाँकि, कम्पनी उपकेन्द्र हेतु जिला प्रशासन से स्पष्ट स्थल का अन्तिमीकरण मई 2017 में कर सकी एवं सिविल कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् फर्म को स्थल का हस्तांतरण सितम्बर 2018 अर्थात् टीडब्लूसी की अनुमोदन के चार वर्ष पश्चात् कर सकी ।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि 400 केवी उपकेन्द्र का निर्माण लखनऊ शहर की विद्युत माँग को वर्ष 2015 तक पूरा करने हेतु प्रस्तावित किया गया था फिर भी, उपकेन्द्र का निर्माण प्रत्याशित माँग के वर्ष से तीन वर्षों पश्चात् प्रारंभ हुआ (सितम्बर 2018)।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि जिला प्रशासन से अनुकूल भूमि की उपलब्धता एवं मिट्टी भराई हेतु खनन विभाग से आवश्यक अनुमति मिलने में विलम्ब होने के कारण, भूमि के अन्तिमीकरण में विलम्ब हुआ। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। इस प्रकार, लखनऊ शहर के विद्युत प्रबन्धन को सुदृढ़ करने का उद्देश्य तीन वर्षों के पश्चात् भी पूरा नहीं किया जा सका।

---

[28] भदैनी, शंकुलधारा, बेनिया बाग, भेलूपुर, कबीर नगर, गोदौलिया, सिगरा एवं विद्यापीठ।

[29] मंडुआडीह, कैंट एवं सारनाथ।

कम्पनी द्वारा स्पष्ट स्थल को उपलब्ध कराने में अक्षमता, एमओईएफ, जीओआई से समयबद्ध अनुमति प्राप्त करने में असमर्थता, एलोआई निर्गत करने में विलम्ब एवं उपरोक्त उपकेन्द्रों के सिविल कार्यों को प्रारंभ करने में विलम्ब के कारण दो वर्षों से सात वर्षों (मई 2019 तक) के मध्य विस्तारित विलम्ब हुआ। इन विलम्ब के कारण कम्पनी पर ₹ 109.67 करोड़ [30] के ब्याज का परिहार्य भार पड़ा तथा कुल ₹ 202.23 करोड़ (132 केवी हनुमान सेतु उपकेन्द्र के भूमिगत केबल के कार्य में ₹ 134.66 करोड़ एवं 220 केवी भेलूपुर उपकेन्द्र के भूमिगत केबल कार्य में ₹ 67.57 करोड़) की धनराशि भी अवरुद्ध रही। यह इंगित करता है कि कम्पनी अत्यधिक विलम्बित परियोजनाओं की समीक्षा करने अथवा इन परियोजनाओं में विलम्ब के अवरोधों को दूर करने में असफल रही।

उपकेन्द्र पूर्ण किन्तु लाइनें अपूर्ण एवं इसके विपरीत

2.26 एक पारेषण परियोजना के तीन घटक यथा, उपकेन्द्र, उपकेन्द्र की पोषक लाइनें एवं अन्य पारेषण/वितरण उपकेन्द्रों के पोषण हेतु निर्गामी लाइनें होते हैं। परियोजना के किसी भी घटक में विलम्ब के कारण सम्पूर्ण पारेषण परियोजना निष्प्रयोज्य हो जाती है एवं इन निष्प्रयोज्य घटकों पर व्यय किया गया कोष भी अवरुद्ध रहता है। इस प्रकार, इन तीनों घटकों का निर्माण कार्य इस तरह से समक्रमिक करना चाहिए कि समस्त घटक एक ही साथ पूर्ण हों।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार पारेषण परियोजनाओं के प्रकरण में, ₹ 200.08 करोड़ मूल्य के उपकेन्द्र एवं लाइनें पूर्ण हो गयी थीं किन्तु इन उपकेन्द्रों एवं लाइनों से सम्बंधित घटक अभी भी अपूर्ण थे जिसका विवरण निम्न तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका–2.12: उपकेन्द्रों एवं लाइनों के पूर्ण एवं अपूर्ण घटक का नवम्बर 2018 का विवरण

क्र. सं.	पूर्ण घटक का नाम	पूर्ण होने का दिनांक	पूर्ण घटक की लागत (₹ करोड़ में)	अपूर्ण घटक का नाम	नवम्बर 2018 तक घटक के निष्प्रयोज्य रहने की अवधि (माह में)	ब्याज की हानि ₹ करोड़ में (लागत के 70 प्रतिशत पर 10.5 प्रतिशत की दर से निष्प्रयोज्य अवधि हेतु गणना की गयी)
1	220 केवी उपकेन्द्र, भदौरा, गाजीपुर	अप्रैल 2018	47.94	220 केवी सारनाथ–साहूपुरी पोषक लाइन	9	2.64
2	220 केवी उपकेन्द्र, आवास विकास, लखनऊ	अप्रैल 2018	45.42	पोषक लाईन	9	जमा कार्य
3	132 केवी सांगीपुर–लालगंज अधोमुख लाइन	मई 2017	4.01	220 केवी उपकेन्द्र सांगीपुर एवं इसकी पोषक लाइनें	18	0.44
4	400 केवी डीसी मेजा–रीवा रोड पोषक लाइन	जनवरी 2018	102.71	400/132 मसौली इलाहाबाद उपकेन्द्र	10	6.29
योग			**200.08**			**9.37**

स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

[30] हनुमान सेतु उपकेन्द्र के प्रकरण में ₹ 84.84 करोड़ (₹ 134.66 करोड़ पर 10.50 प्रतिशत की दर से छः वर्षों हेतु गणना की गयी) एवं भेलूपुर उपकेन्द्र के प्रकरण में ₹ 24.83 करोड़ (₹ 67.57 करोड़ पर 10.50 प्रतिशत की दर से तीन वर्ष छः माह हेतु गणना की गयी)।

चार परियोजनाओं के ₹ 200.08 करोड़ मूल्य के पूर्ण घटक नौ से अट्ठारह माह के मध्य विस्तारित अवधि तक निष्प्रयोज्य पड़े रहे। पूर्ण घटकों के प्रयोग न होने के कारण ₹ 200.08 करोड़ का कोष अवरूद्ध रहा जिससे ₹ 9.37 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान भी हुआ। इसके अतिरिक्त, सम्बंधित घटकों के विलम्ब/निर्माण न होने के कारण आपूर्ति वोल्टेज में सुधार एवं विद्यमान उपकेन्द्रों पर भार कम करने के अपेक्षित लाभ प्राप्त होने में भी विलम्ब हुआ।

कम्पनी ने तथ्य स्वीकार किया और बताया (मई 2019) कि विभिन्न कारणों से सम्बंधित घटकों का क्रियान्वयन अभी भी प्रगति में था एवं उनको पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)।

ऊर्जा निकासी तन्त्र के कार्य को प्रदान करने एवं इसके क्रियान्वयन में कमियां

2.27 सीईए, एमओपी, भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार की गयी 'बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन' सिस्टम (बीपीआईटीएस) ने अनुशंसा की कि ऊर्जा निकासी हेतु एवं पारेषण लागत एवं हानियों को कम करने हेतु भी दीर्घ अवधि की पारेषण योजनायें विकसित की जानी चाहिए।

ललितपुर थर्मल पॉवर परियोजना (एलटीपीपी) की तीन इकाइयों (3 x 660 एमडब्लू) जिनकी स्थापना क्रमशः दिसम्बर 2015, जून 2016 एवं दिसम्बर 2016 तक होनी थी, हेतु एक 765 केवी उपकेन्द्र, दो 400 केवी उपकेन्द्र एवं सम्बंधित लाइनों (पारेषण प्रणाली) का निर्माण कम्पनी द्वारा किया जाना था। कम्पनी ने कार्य की समयबद्ध पूर्णता के आधार पर एवं अपर्याप्त कर्मचारियों एवं अनुभव के कारण पारेषण प्रणाली के निर्माण कार्य को ₹ 2,236.83 करोड़ की अनुमानित लागत एवं ₹ 279.61 करोड़ के परामर्श शुल्क पर पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के साथ एक अनुबन्ध (04 मार्च 2014) ''एलिमेंट–1''[31] एवं ''एलिमेंट–2''[32] के अन्तर्गत क्रमशः 27 माह एवं 33 माह की निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ किया। लेखापरीक्षा ने पीजीसीआईएल के साथ अनुबन्ध के अधिनिर्णय एवं क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियां देखीं।

2.27.1 परिसमापन हर्जाने का प्रावधान न होना

सामान्य वित्तीय नियम का प्रस्तर 204 (xvi) प्रावधानित करता है कि समस्त अनुबन्धों में ठेकेदार की त्रुटि हेतु परिसमापन हर्जाने की वसूली का प्रावधान होना चाहिए। अनुबन्ध के उपबन्ध 10.1 के अनुसार, एलटीपीपी की पारेषण प्रणाली के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि ''एलिमेंट–1'' हेतु 27 माह अर्थात मई 2016 एवं ''एलिमेंट–2'' हेतु 33 माह अर्थात नवम्बर 2016 थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने सभी अन्य ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध करते समय परिसमापन हर्जाने (एलडी) का प्रावधान समुचित रूप से शामिल किया जो निर्धारित करता है कि यदि ठेकेदार अपने अनुबन्ध का उचित निष्पादन निर्धारित समय में या किसी विस्तारित समय में करने में असफल होता है तो ठेकेदार अनुबन्ध के मूल्य में आधा प्रतिशत प्रति सप्ताह, अनुबन्ध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की कमी स्वीकार करेगा। हालाँकि, कम्पनी ने पीजीसीआईएल के साथ किये गए अनुबन्ध में एलडी के उपर्युक्त उपबन्ध को शामिल नहीं किया। अतः कम्पनी एलिमेंट–1 एवं एलिमेंट–2 के समस्त कार्यों (जिनका कोई समय विस्तार नहीं किया गया था) के विलम्ब से पूर्ण होने के बावजूद एलडी की कटौती नहीं कर सकी जिसका विवरण निम्न तालिका 2.13 में दिया गया है।

---

[31] एलिमेंट–1: 765 केवी उपकेन्द्र, 765 केवी लाइन–सर्किट-I, 400 केवी उपकेन्द्र एवं 400 केवी लाइन–सर्किट-I।

[32] एलिमेंट–2: 765 केवी लाइन–सर्किट–II एवं 400 केवी लाइनें सर्किट–II।

तालिका–2.13: कटौती किये जाने वाले परिसमापन हर्जाने का विवरण (एलिमेंट वार)

एलिमेंट	कार्य का नाम	पीजीसीआईएल द्वारा ली गयी राशि (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	वास्तविक पूर्ण होने का दिनांक	विलम्ब (सप्ताह में)	0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से की जाने वाली कटौती (₹ करोड़ में)
एलिमेंट–1	765 केवी सर्किट–I	741.50	मई 2016	अक्टूबर 2016	16	59.32
एलिमेंट–1	400 केवी लाइनें	458.86	मई 2016	अक्टूबर 2017	64	45.88
एलिमेंट–1	765/400 केवी उपकेन्द्र, आगरा	372.95	मई 2016	सितम्बर 2016	12	22.38
एलिमेंट–1	400/220 केवी उपकेन्द्र, मथुरा	117.36	मई 2016	अप्रैल 2017	40	11.74
एलिमेंट–1	400/132 केवी जीआइएस, आगरा	167.67	मई 2016	जुलाई 2017	48	16.77
एलिमेंट–2	765 केवी सर्किट–II	597.66	नवम्बर 2016	अप्रैल 2017	20	59.76
योग		**2,456.00**				**215.85**

स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

अनुबन्ध में कमियों के कारण, कम्पनी पीजीसीआईएल द्वारा क्रियान्वित ₹ 2,456 करोड़ मूल्य के कार्यों में 12 सप्ताह से 64 सप्ताह के मध्य विस्तारित विलम्ब होने के बावजूद ₹ 215.85 करोड़ की एलडी की कटौती करने में असफल रही।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि पीजीसीआईएल ने अपने द्वारा विभिन्न फर्मों को प्रदान किये गए अनुबन्धों में एलडी का प्रावधान रखा है एवं कटौती की गयी एलडी की रकम खातों के अन्तिम समाधान के समय यूपीपीटीसीएल को हस्तांतरित की जाएगी। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। कम्पनी का उत्तर सामान्य है एवं अक्टूबर 2017 में पूर्ण हुए कार्य हेतु ₹ 215.85 करोड़ की देय एलडी के सापेक्ष प्राप्त राशि को निर्दिष्ट नहीं करता।

ठेकेदार द्वारा सामग्रियों का गबन

2.28 कम्पनी में प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुसार विभिन्न क्षमताओं की लाइनों के निर्माण का कार्य टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) को टावर पार्ट्स, नट और बोल्ट्स एवं सम्बंधित सामग्री के साथ प्रदान किये गए। टीकेसी द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री सम्बंधित खण्डों में प्राप्त की जाती है एवं तत्पश्चात् निर्माण कार्यों में प्रयोग किये जाने हेतु टीकेसी को निर्गमित कर दी जाती है। हालाँकि, कंडक्टर, अर्थ वायर एवं इंसुलेटर कम्पनी सीधे निर्माताओं से क्रय करके स्वयं टीकेसी को आपूर्ति करती है। चूंकि, कार्य के प्रारम्भ होने पर लगभग समस्त सामग्री टीकेसी को बिना कार्य की प्रगति से समक्रमिक किये हुए एवं सामग्री के मूल्य हेतु बिना कोई बैंक गारंटी लिए दे दी जाती है, अतः अनुबन्धों के असामयिक निरस्त होने के समय कम्पनी का वित्तीय हित जोखिम में रहता है।

अनुबन्ध के निरस्त होने के पश्चात् टीकेसी द्वारा सामग्री के गबन के दो प्रकरणों की निम्नवत् चर्चा की गयी है।

(i) कम्पनी ने मेसर्स हीथ्रो पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, गुड़गाँव (ठेकेदार) के साथ 132 केवी एवं 220 केवी के सिंगल सर्किट/डबल सर्किट (एससी/डीसी) लाइनों के निर्माण का अनुबन्ध (अप्रैल 2011) ₹ 73.24 करोड़ (आपूर्ति हेतु ₹ 51.55 करोड़ एवं निर्माण हेतु ₹ 21.69 करोड़) की अनुबन्धित लागत पर किया। अनुबन्ध की नियम एवं शर्तों के अनुसार, समस्त लाइन सामग्री (कंडक्टर एवं अर्थ वायर को छोड़कर) की

आपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जानी थी। कंडक्टर एवं अर्थ वायर की आपूर्ति कम्पनी द्वारा ठेकेदार को करनी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2011–12 एवं 2012–13 के मध्य ठेकेदार द्वारा लाईन सामग्री की वृहद् मात्रा में आपूर्ति की गयी एवं कम्पनी ने इसके लिए भुगतान किया। अग्रेतर, इसी अवधि में, कम्पनी ने निर्गत करने की तिथि को, बिना कार्य की प्रगति सुनिश्चित किये, ठेकेदार को एसीएसआर[33] पैंथर कंडक्टर भी निर्गत कर दिया। कम्पनी ने धीमी प्रगति एवं ठेकेदार की मन्द निष्पादकता के कारण ठेकेदार के अनुबन्ध को निरस्त (जून 2015) कर दिया एवं तुरंत समस्त सामग्री को वापस लेने के बजाय सामग्री के सत्यापन हेतु प्रतिनिधि को नियुक्त करने हेतु कहा। चूँकि, ठेकेदार द्वारा आपूर्तित लाइन सामग्री एवं कम्पनी द्वारा निर्गत कंडक्टर की वृहद् मात्रा ठेकेदार के भण्डार में पड़ी थी, अतः कम्पनी को ठेकेदार द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए कहने के बजाय अनुबन्ध निरस्त होने के तुरंत बाद भण्डार को नियंत्रण में लेने की आवश्यकता थी। कम्पनी ठेकेदार के भण्डार को अधिकार में लेने में त्वरित कार्य करने में असफल रही जिससे ठेकेदार द्वारा ₹ 10.03 करोड़ मूल्य की सामग्री का गबन कर दिया गया जैसा कि निम्न तालिका 2.14 में दिया गया है।

तालिका–2.14: निर्गत, प्रयुक्त एवं वापस न की गयी सामग्री का विवरण

क्र. सं.	सामग्री का नाम	ठेकेदार को निर्गत मात्रा	ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त एवं वापस की गयी मात्रा	शेष वापस न की गयी मात्रा	शेष मात्रा का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	टावर पार्ट्स (एमटी में)	2,223.65	1,500.55	723.10	6.50
2	एसीएसआर पैंथर कंडक्टर (किमी. में)	685.60	378.95	306.65	3.53
योग					**10.03**

स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

कम्पनी ने सामग्री की वसूली हेतु कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है।
शासन/कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि धरोहर राशि/पीबीजी के रूप में ₹ 23.87 करोड़ की राशि जब्त की जा चुकी है। अग्रेतर, एक नया उपबन्ध लाया गया है कि टेकेसी को पीबीजी के 250 प्रतिशत से अधिक मूल्य की सामग्री किसी भी समय उपलब्ध नहीं कराई जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पीबीजी गुणवत्ता एवं अनुबन्ध के निष्पादकता मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ली जाती है। ठेकेदार को निर्गत की गयी सामग्री हेतु कम्पनी का वित्तीय हित सुरक्षित करने हेतु अनुबन्ध में कोई भी प्रावधान नहीं था। अतः अनुबन्ध उस सीमा तक दोषपूर्ण था। दोषपूर्ण अनुबन्ध बनाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही उत्तर में नहीं बतायी गयी है।

(ii) कम्पनी ने 400 केवी डीसी लाइन के आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण एवं प्रवर्तन के कार्य की निविदा को दो पैकेजों[34] में महाराष्ट्र पॉवर ट्रान्समिशन स्ट्रक्चर लिमिटेड (ठेकेदार) को कुल अनुबन्धित लागत क्रमशः ₹ 90.96 करोड़ एवं ₹ 205.94 करोड़ में प्रदान किया (नवम्बर 2010)। अनुबन्ध के अनुसार लाइन के निर्माण के लिए समस्त सामग्री (एसीएसआर मूज कंडक्टर, अर्थ वायर एवं ओपीजीडब्लू[35] को छोड़कर) की आपूर्ति एवं निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जाना था। लाईन के निर्माण हेतु एसीएसआर मूज कंडक्टर एवं अर्थ वायर की आपूर्ति कम्पनी द्वारा ठेकेदार को करनी थी।

---

[33] एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री–एनफोर्सड।

[34] पैकेज–1 में 100 किमी. की 400 केवी डीसी बाँदा–उरई एवं पैकेज–2 में 200 किमी. की 400 केवी डीसी बाँदा–इलाहाबाद।

[35] ऑप्टिकल फाइबर ग्राउण्ड वायर।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक, ठेकेदार द्वारा आपूर्तित लगभग समस्त सामग्री का भुगतान कम्पनी द्वारा कर दिया गया एवं उसी को निर्गत कर दिया गया। इस स्कन्ध में से ठेकेदार ने कुछ सामग्री का प्रयोग किया। किन्तु कम्पनी ने धीमी प्रगति एवं ठेकेदार की अनिच्छा के कारण अनुबन्ध को निरस्त कर दिया (मई 2014)। चूंकि एसीएसआर मूज कंडक्टर एवं अर्थ वायर को सम्मिलित करते हुए समस्त सामग्री की आपूर्ति, कम्पनी निरस्तीकरण की तिथि से पहले ही कर चुकी थी एवं ठेकेदार के संरक्षण में थी, अतः कम्पनी को सामग्री के दुरूपयोग से बचने के लिए त्वरित कार्यवाही करने एवं ठेकेदार के आधिपत्य में पड़ी हुई सामग्री को वापस लेने की आवश्यकता थी। इसके बजाय कम्पनी ने सामग्री के मिलान करने हेतु ठेकेदार को बताने में 30 माह बर्बाद कर दिए। 30 माह से अधिक बीत जाने के पश्चात्, कम्पनी ने ठेकेदार के भण्डार को नियंत्रण में लेना प्रारम्भ किया (दिसम्बर 2016) एवं पाया कि ₹ 21.28 करोड़ मूल्य कि वृहद् सामग्री गायब थी, जिसका विवरण निम्न तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका–2.15: निर्गत, प्रयुक्त एवं वापस न की गयी सामग्री का विवरण

क्रं. सं.	सामग्री का नाम	ठेकेदार को निर्गत मात्रा	ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त एवं वापस की गयी मात्रा	शेष वापस न की गयी मात्रा	शेष मात्रा का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	टावर पार्ट्स एवं नट बोल्ट्स (एमटी में)	5,660.54	3,560.05	2,100.49	19.03
2	एसीएसआर मूज कंडक्टर एवं अर्थ वायर (किमी. में)	913.44	823.04	90.40	1.26
3	इंसुलेटर (संख्या)	39,400	28,509	10,891	0.99
योग					**21.28**

स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि ठेकेदार के विरूद्ध ₹ 134.05 करोड़ का दावा दायर किया गया है जिसमें वापस न की गई सामग्री का मूल्य सम्मिलित है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)।

इस प्रकार, ठेकेदार को सामग्री निर्गत करने से पूर्व अपने वित्तीय हित को सुरक्षित करने हेतु तन्त्र विकसित करने एवं अनुबन्ध के निरस्त होने के पश्चात् तुरंत भण्डार सामग्री को वापस लेने में कम्पनी के स्तर पर निष्क्रियता होने के कारण दोषी ठेकेदारों ने ₹ 31.31 करोड़ मूल्य की सामग्री का गबन किया। यह कमजोर आन्तरिक नियंत्रण को भी दर्शाता है।

अनुबन्ध के विलम्बित निरस्तीकरण से समय एवं लागत अतिक्रमण

2.29 कम्पनी ने अनपरा से झूंसी (भाग–1) एवं झूंसी से उन्नाव (भाग–2) की 765 केवी लाइन के निर्माण के कार्य हेतु क्रमशः ₹ 201.30 करोड़ एवं ₹ 218.04 करोड़ की अनुबन्धित लागत से दो अनुबन्ध (जून 2010) 24 माह की समापन अवधि अर्थात् फरवरी 2012 तक के लिए किये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि समापन अवधि फरवरी 2012 के सापेक्ष भाग–2 का कार्य दिसम्बर 2017 में ₹ 348.38 करोड़ की लागत पर समाप्त हुआ। जबकि, भाग–1 का कार्य एमओईएफ, जीओआई से समय से अनुमति न मिलने के कारण मई 2014 से अवरूद्ध था। कम्पनी द्वारा एमओईएफ से अनुमति जून 2016 में प्राप्त की जा सकी। हालाँकि, एमओईएफ से अनुमति के उपरान्त भी ठेकेदार ने उचित तत्परता से कार्य प्रारम्भ नहीं किया। कम्पनी ने अनुबन्ध निरस्त करने के बजाय ठेकेदार को कई नोटिस जारी किए एवं अन्ततः जुलाई 2018 (एमओईएफ से अनुमति प्राप्त करने से दो वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त) में अनुबन्ध निरस्त किया एवं शेष कार्य अन्य ठेकेदार को अनुबन्धित मूल्य ₹ 93.98 करोड़ में प्रदान किया (सितम्बर 2018)।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि कम्पनी ने प्रथम ठेकेदार को अधिनिर्णित मूल्य ₹ 201.03 करोड़ के सापेक्ष ₹ 238.95 करोड़ का भुगतान जारी किया एवं शेष कार्य अन्य ठेकेदार को ₹ 93.98 करोड़ में प्रदान किया। इस प्रकार ₹ 30.93 करोड़ (₹ 238.95 करोड़ + ₹ 93.98 - ₹ 302 करोड़ बीओक्यू लागत ₹ 201.30 करोड़ में 50 प्रतिशत का सकारात्मक विचलन सम्मिलित करके) का लागत अतिक्रमण हुआ। अग्रेतर, लाइन के भाग–1 के पूर्ण न होने के कारण ₹ 348.38 करोड़ मूल्य का पूर्ण भाग–2 दिसम्बर 2017 से निष्क्रिय पड़ा रहा एवं भाग–2 पर व्यय किये गये ₹ 348.38 करोड़ भी अवरूद्ध रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.58 करोड़[36] के ब्याज की हानि हुई।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि नोटिस जारी की गयी थी एवं आवंटित कार्य को किसी भी तरह से क्रियान्वित कराने हेतु फर्म को रोक कर रखने के प्रयास किये गए। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। तथ्य यह है कि अनुबन्ध निरस्त करने में दो वर्षों का विलम्ब औचित्यपूर्ण नहीं था।

बिना सामग्री को प्राप्त किये विद्युत पारेषण खण्ड–बाँदा द्वारा ठेकेदार को भुगतान

2.30 मेसर्स महाराष्ट्र पॉवर ट्रान्समिशन स्ट्रक्चर्स लिमिटेड (फर्म) ने 400 केवी डीसी क्वाड बाँदा–इलाहाबाद लाइन के निर्माण हेतु ₹ 1.32 करोड़ की 206.718 एमटी टावर सामग्री का एक बिल विद्युत पारेषण खण्ड (ईटीडी)–II कानपुर को दिया, जिसकी प्राप्ति विद्युत पारेषण खण्ड (ईटीडी)–II कानपुर के अवर अभियंता (जेई) के माप पुस्तिका में प्रलेखित की गई (जुलाई 2012)। हालाँकि, खण्ड ने कोई भुगतान नहीं किया।

इसी समय फर्म ने इसी बिल को ईटीडी–बाँदा में वास्तविक रुप में सामग्री की आपूर्ति किये बिना प्रस्तुत किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि जेई ईटीडी–बाँदा ने सामग्री की प्राप्ति को प्रलेखित किया (सितम्बर 2012) एवं खण्ड ने वास्तविक रुप में सामग्री को प्राप्त किये बिना भुगतान जारी कर दिया (जनवरी 2013)।

इस प्रकार ईटीडी–बाँदा के कर्मचारियों की सांठगांठ से डिवीजन ने सामग्री क्रय हेतु ₹ 1.32 करोड़ का भुगतान किया, जो वास्तव में डिवीजन द्वारा प्राप्त नहीं की गयी थी। हालाँकि, उपरोक्त प्रकरण कम्पनी की जानकारी में नवम्बर 2013 में आ गया था किन्तु सम्बंधित अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

शासन/कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2019) कि फर्म को दो बार भुगतान नहीं किया गया। इसने अग्रेतर बताया कि ध्यान रखा गया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। अग्रेतर, प्रकरण की जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तथ्य यह है कि सामग्री को प्राप्त किये बिना सामग्री की प्राप्ति को प्रलेखित करने एवं सामग्री को वास्तविक रुप में प्राप्त किये बिना भुगतान जारी करने वाले ईटीडी–बाँदा के सम्बंधित कर्मचारियों के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी। यह आन्तरिक नियंत्रण की कमी को स्पष्ट करता है जो इस तरह की घटनाओं का पता लगा एवं रोक सकता था।

संस्तुतियाँः कम्पनी को परियोजना के समापन में विलम्ब से बचने हेतु इसके क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्त समान्तर क्रियाकलाप प्रारम्भ करने चाहिए। अत्यधिक विलम्बित हुए उपकेन्द्रों के निर्माण के औचित्य की पुर्नवैधता हेतु इसका समीक्षा तन्त्र होना चाहिए। इसे इस तरह की अनुबन्ध की शर्तें बनानी एवं क्रियान्वित करनी चाहिए जिससे कम्पनी के वित्तीय हितों की रक्षा हो सके।

[36] 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (कम्पनी द्वारा आरईसी से 2013–14 से 2017–18 के दौरान लिए गए ऋण की न्यूनतम दर) पर एक वर्ष हेतु गणना की गयी।

कोष प्रबन्धन

2.31 पारेषण परियोजनाओं के निर्माण हेतु कम्पनी का फण्ड विंग आरईसी/पीएफसी से 70 प्रतिशत भाग हेतु ऋण आहरित करता है एवं शेष 30 प्रतिशत भाग हेतु राज्य सरकार से अंशपूँजी प्राप्त करता है। वर्ष में भुगतान किये जाने वाले दायित्वों के सापेक्ष ऋणों एवं अंशपूँजी का आहरण किया गया। क्रय एवं परियोजना पैकेजों के वित्तीय संयोजन एवं ब्याज के बोझ से बचने हेतु आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थाओं से कोष लेने हेतु विंग समग्र रूप से उत्तरदायी था।

कोष प्रबन्धन में देखी गयी कमियों की चर्चा निम्नवत की गयी है।

जमा मद के कार्यों के सापेक्ष कोष प्राप्त करने में असफलता

2.32 कम्पनी में प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुसार प्रयोक्ता इकाइयों से प्राक्कलन की सम्पूर्ण राशि प्राप्त करने के उपरान्त जमा मद में कार्यों का क्रियान्वयन किया गया। कार्यों की लागत में कोई वृद्धि/कमी भी क्रियान्वित प्राक्कलन[37] के आधार पर प्रयोक्ता इकाई से/को प्राप्य/देय थी। ऐसे प्रकरणों की चर्चा निम्नवत् की गयी है जिनमें कम्पनी ने जमा मद में प्राक्कलन की सम्पूर्ण लागत प्राप्त किये बिना कार्यों का क्रियान्वयन किया एवं अभी तक राशि वसूल करने में असफल रही।

कम्पनी ने जमा मद में 220 केवी के दो उपकेन्द्र, एक सीजी सिटी (लखनऊ विकास प्राधिकरण), लखनऊ जो मार्च 2018 में पूर्ण हुआ एवं अन्य अवध विहार योजना (आवास एवं विकास परिषद), जो अभी प्रगति (मई 2018 तक 92 प्रतिशत पूर्ण) पर था, प्राक्कलन की सम्पूर्ण राशि क्रमशः ₹ 99.92 करोड़ एवं ₹ 112.08 करोड़ प्राप्त किये बिना निर्मित किये। कम्पनी लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद से क्रमशः सिर्फ ₹ 57.86 करोड़ एवं ₹ 60 करोड़ वसूल सकी। इस प्रकार जमा मद में सम्पूर्ण राशि प्राप्त किये बिना कार्य का क्रियान्वयन करने के कारण ₹ 94.14 करोड़ अभी तक अप्राप्य रहा।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि शेष राशि जमा करने के लिए अनुस्मारक/पत्र भेजे जा रहे थे। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)।

जीओआई से पीएसडीएफ योजना में अनुदान प्राप्त करने में असफलता

2.33 ऊर्जा मंत्रालय, जीओआई ने पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु योजना पॉवर सिस्टम डिवैलपमैंट फण्ड (पीएसडीएफ) के अन्तर्गत अनुमोदित की (जनवरी 2014)। योजना के अनुसार प्रत्येक प्रकरण के आधार पर कार्यों को 90 प्रतिशत या 75 प्रतिशत कोष अनुदान के रूप में दिया जाना था। तदानुसार कम्पनी ने 'सुरक्षा एवं नियंत्रण प्रणाली के उच्चीकरण' (₹ 279.19 करोड़) एवं 'विभिन्न लाइनों के पुनः संचालन' (₹ 80 करोड़) के लिए दो प्राक्कलन तैयार किये। कम्पनी ने ये दोनों प्रस्ताव पीएसडीएफ योजना के अर्न्तगत वित्तपोषण हेतु एमओपी, जीओआई को भेजे (नवम्बर 2014)। हालाँकि, कम्पनी ने ₹ 90.23 करोड़[38] के एलओआई एमओपी, जीओआई की पीएसडीएफ योजना में औपचारिक स्वीकृति से पहले ही निर्गत कर दिये (मार्च 2015 एवं अगस्त 2015)। एमओपी, जीओआई ने उपरोक्त कार्यों की ₹ 282.94 करोड़[39] की स्वीकृति मई 2015 एवं मार्च 2016 में दी। हालाँकि, एमओपी जीओआई ने कम्पनी द्वारा एमओपी जीओआई की स्वीकृति से पूर्व निर्गत एलओआई का

---

[37] किये गए कार्य की वास्तविक लागत के निर्धारण हेतु कार्य के क्रियान्वित होने के पश्चात् क्रियान्वित प्राक्कलन तैयार किया जाता है।

[38] मार्च 2015 में सुरक्षा एवं नियंत्रण प्रणाली के उच्चीकरण हेतु ₹ 10.23 करोड़ एवं विभिन्न लाइनों के पुनः संचालन हेतु ₹ 80 करोड़।

[39] सुरक्षा एवं नियंत्रण प्रणाली के उच्चीकरण हेतु ₹ 202.94 करोड़ एवं विभिन्न लाइनों के पुनः संचालन हेतु ₹ 80 करोड़।

वित्तपोषण नहीं किया। इस प्रकार, एमओपी, जीओआई द्वारा इन कार्यों की पीएसडीएफ योजना में औपचारिक स्वीकृति से पूर्व एलओआई निर्गत करने के अविवेकी निर्णय के कारण कम्पनी ₹ 69.21 करोड़[40] का अनुदान प्राप्त नहीं कर सकी। इन कार्यों का वित्तपोषण अब आन्तरिक संसाधनों से किया जा रहा है।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि इसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि स्वीकृति से पूर्व एलओआई निर्गत करने पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना की स्वीकृति से पूर्व एलओआई निर्गत करने का निर्णय सामान्य वित्तीय विवेक के प्रतिकूल था।

पुराने/क्षतिग्रस्त परिवर्तकों का निस्तारण न किया जाना

2.34 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), उत्तर प्रदेश सरकार में समाहित यूपीपीटीसीएल की निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रस्तर 2.1.52 में बताया गया था कि कम्पनी ने क्षतिग्रस्त/अमितव्ययी परिवर्तकों का निस्तारण नहीं किया है।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि 42 नमूना जाँच की गयी इकाइयों में से पाँच इकाइयों में विभिन्न क्षमताओं के 11 पुराने/क्षतिग्रस्त एवं अमितव्ययी परिवर्तक एक वर्ष से बारह वर्ष के मध्य विस्तारित अवधि से निस्तारण हेतु पड़े हुए थे। एक से बारह वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इन पुराने/क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के निस्तारण हेतु कम्पनी द्वारा कोई अनुसरण नहीं किया गया जिससे ₹ 7.70 करोड़ (नए परिवर्तक की लागत का 40 प्रतिशत) का कोष अवरूद्ध रहा।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि परिवर्तकों के निस्तारण हेतु निविदा का कार्य प्रगति पर है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)।

अनुश्रवण तन्त्र

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.35 चूँकि कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है, इसलिए कम्पनी पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउन्टेंट (सीए) फर्मों को कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। यह देखा गया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तृत तकनीकी लेखापरीक्षा अथवा व्यय के औचित्य पर टिप्पणी सम्मिलित नहीं थी। अग्रेतर, आन्तरिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की समीक्षा एवं उनके अनुपालन का अनुसरण करने हेतु कम्पनी में कोई तन्त्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र समग्र रूप से प्रभावी नहीं था।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि नियमित कर्मचारियों के अभाव के कारण कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग में आवश्यक संख्याबल की कमी बनी रहती है। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (सितम्बर 2019)। तथ्य यह है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र प्रभावी नहीं था।

2.36 परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन एवं पारेषण प्रणाली के कुशल संचालन में एक प्रभावी अनुश्रवण तन्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रबन्धन नए उपकेन्द्रों अथवा पुराने उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की योजना बनाने में आवश्यक कदम उठाने में, अत्यधिक विलम्बित परियोजनों की समीक्षा करने, महत्वपूर्ण क्रय को परियोजनाओं के क्रियान्वयन से समक्रमिक करने एवं ठेकेदारों तथा ग्राहकों दोनों से राशि वसूल करना सुनिश्चित करने में जैसा कि पूर्ववर्ती

[40] ₹ 60 करोड़ (80 करोड़ का 75 प्रतिशत) में ₹ 9.21 करोड़ (₹ 10.23 करोड़ का 90 प्रतिशत) जोड़कर।

प्रस्तरों में चर्चा की गयी है, असफल था। यह प्रबन्धन द्वारा अनुश्रवण की कमी के कारण हुआ।

कम्पनी ने बताया (मई 2019) कि अत्यधिक विलम्ब के कारण सामान्यतः नियंत्रण से बाहर एवं अनपेक्षित घटनाएँ थीं। शासन ने भी कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित (सितम्बर 2019) किया। हालाँकि, प्रबन्धन द्वारा उठाये गये अग्रसक्रिय कदम का प्रमाण लेखापरीक्षा के दौरान स्पष्ट नहीं हुआ।

संस्तुतियाँः कम्पनी को अपना कोष प्रबन्धन एवं अनुश्रवण तन्त्र सुदृढ़ करना चाहिए। कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग होना चाहिए।

निष्कर्षः

लेखापरीक्षा उद्देश्य से सम्बंधित निष्कर्ष निम्न प्रकार हैंः

1. परियोजना नियोजन एवं प्रबन्धन नियमावली के अभाव में परियोजनाएं उचित रूप से अवधारित नहीं की जा रही थीं। चिन्हित परियोजनाओं का नियोजन अपर्याप्त था, जिसके परिणामस्वरूप एक तरफ उपकेन्द्र स्थापित होने से एक वर्ष के अन्दर अतिभारित हो रहे थे तो दूसरी तरफ अन्य उपकेन्द्रों में निष्क्रिय क्षमता सृजित हुई।

(प्रस्तर 2.13 एवं 2.14)

2. कम्पनी ने न तो क्रय नीति/क्रय नियमावली बनायी एवं न ही परियोजना क्रियान्वयन से समक्रमित क्रय योजना हेतु तन्त्र बनाया। यह अनुबन्धों के महत्वपूर्ण उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने में भी असफल रही। वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय करने की तदर्थ प्रणाली से ₹ 36.91 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ एवं ₹ 24.75 करोड़ का कोष भी अवरूद्ध रहा।

(प्रस्तर 2.15 से 2.20)

3. कम्पनी अधिकतर परियोजनाओं को नियत समय में क्रियान्वित करने में असफल रही। इसके पास अत्यधिक विलम्बित परियोजनाओं के निर्माण के औचित्य की समीक्षा हेतु कोई तन्त्र नहीं था। अनुबन्धों के अधिनिर्णय तथा क्रियान्वयन में एवं अनुबन्धों में कमियों के दृष्टान्त देखे गए। कम्पनी ने अतिरिक्त व्यय किया एवं उसको (₹ 431.71 करोड़) ब्याज की हानि हुई। कम्पनी का ₹ 750.69 करोड़ का कोष भी अवरूद्ध रहा। कम्पनी के पास परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु कोई औपचारिक समीक्षा तन्त्र भी नहीं था जो संभावित अवरोधकों की पहचान करने एवं सुधारात्मक कार्यवाही करने में सहायक हो।

(प्रस्तर 2.21 से 2.30)

4. जमा मद के कार्यों की अनुमानित लागत की सम्पूर्ण राशि प्राप्त किये बिना कार्य करने एवं ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की पॉवर सिस्टम डिवैलपमैंट फण्ड योजना में स्वीकृति से पूर्व आशय पत्र (एलओआई) निर्गत करने के अविवेकपूर्ण कोष प्रबन्धन से ₹ 69.21 करोड़ की हानि हुई एवं ₹ 94.14 करोड़ का कोष अवरूद्ध रहा। कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था जिसके परिणामस्वरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र अप्रभावी था।

(प्रस्तर 2.31 से 2.35)